बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

# वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

# ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT

1986-87

NIEPA DC
D03924

# प्रस्तावना

शिक्षा विभाग द्वारा प्रति वर्ष वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित किया जाता है। वर्ष 1986–87 में शिक्षा विभाग के महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों एवं विभिन्न कार्यकलापों का संक्षिप्त विवरण वर्त्तमान प्रतिवेदन में दिया गया है।

नये 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत "शिक्षित राष्ट्र" के निर्माण का नया सूत्र दिया गया है। शिक्षित राष्ट्र बनाने के लिए सार्वभौम प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य है, जिसके अन्तर्गत बालिकाओं तथा कमजोर वर्गों की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। ये वर्ग शिक्षा के क्षेत्र में अभी बहुत ही पीछे हैं। औपचारिक विद्यालय शिक्षा निर्धन और कमजोर वर्गों के बच्चों के लिये सदा सुलभ नहीं है क्योंकि इन वर्गों के बच्चों को पारिवारिक जीविकोपार्जन में हाथ बँटाना पड़ता है। अतः इनके लिए अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। शिक्षित अभिभावक ही शिक्षा के महत्व को समझ सकते हैं। अतः अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था लागू करा दी गई है। साथ ही अशिक्षित प्रौढ़ व्यक्तियों को भी साक्षर करना अनिवार्य है। इन्हीं व्यवस्थाओं से हम शिक्षित राष्ट्र के उद्देश्य की पूर्त्ति में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। इस हेतु वयस्क शिक्षा कार्यक्रम को लागू किया गया है।

बच्चों को प्रारंभिक विद्यालयों में भारी संख्या में नामांकन कराने तथा विद्यालयों में रहकर प्राथमिक स्तर से माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा पूरी करने में अभिरुचि जगाने हेतु सरकार द्वारा कई तरह की प्रोत्साहन योजनाएँ चलाई गई हैं। इनमें पर्याप्त प्रशिक्षित शिक्षक, शिक्षिकाओं की व्यवस्था स्कूल, भवनों के निर्माण और मरम्मती, पाठन सामग्रियों (ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड) की व्यवस्था, निःशुल्क पोशाक की आपूर्त्ति, अनुदानित पाठ्य-पुस्तकों की आपूर्त्ति, स्कूल टेलीभीजन, कम्प्यूटरों की व्यवस्था, छात्रवृत्तियां, पुस्तकालय, कॉमन-रूम, शौचालयों की व्यवस्था, आदि उल्लेखनीय है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वियन के तहत राज्य में भारत सरकार की सहायता से 7 नवोदय विद्यालयों की स्थापना की जा चुकी है जिनमें ग्रामीण क्षेत्र के मेधावी छात्र-छात्राओं के लिए निःशुल्क आवासीय पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक जिले के लिए एक-एक नवोदय विद्यालय स्थापित किये जाने का कार्यक्रम है। व्यवसाय-उन्मुखी शिक्षा व्यवस्था भी लागू की जा रही है। प्रधान मंत्री महोदय के निर्देश पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सफल एवं तत्पर कार्यान्वियन के लिए राज्य सरकार ने मुख्य मंत्री महोदय की अध्यक्षता में एक मंत्रीमंडलीय उपसमिति तथा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति की स्थापना कर दी है जिनके मार्गदर्शन में विभाग को मार्गदर्शन मिलता है तथा विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा भी नियमित रूप से कराई जाती है। विभाग द्वारा राष्ट्रीय शिक्षानीति के अन्तर्गत कई-एक छात्रोपयोगी महत्वपूर्ण शिक्षा-योजनाओं को लागू कराने के लिये सुनियोजित ढंग से कार्रवाई आरंभ की जा चुकी है। चार केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना भी कराई गई है। नेतरहाट आवासीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, तिलैया तथा इन्दिरा गाँधी आवासीय विद्यालय, हजारीबाग को centres of execllence के रूप में विकसित करने के लिए कई एक ठोस एवं महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। इनका असर अच्छा हुआ है।

विद्यालय शिक्षा के नींव को सुदृढ़ बनाने के साथ-साथ, +2 (इन्टरमीडियेट शिक्षा) तथा उच्च शिक्षा को भी सुनियोजित ढंग से परिचालित कराने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। विश्वविद्यालयों के अनुदानों में वृद्धि की गई है। नालन्दा खुला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई जा चुकी है। इसे शीघ्र विकसित करने की कार्रवाई जारी है। प्रशिक्षण निदेशालय के अन्तर्गत शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के कामों में दक्षता बढ़ाने तथा पूर्व की कमियों को दूर करने का ठोस कार्यक्रम लागू किया गया है। प्राच्य शिक्षा के विकास के लिए विभाग पूर्णतः सचेष्ट है।

अल्प संख्यक विद्यालयों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये कई ठोस कदम उठाये गये हैं। अल्प-संख्यक विद्यालयों के शिक्षकों के बकाये वेतनादि का भुगतान करा दिया गया है।

छात्रवृत्तियाँ कई वर्षों से नहीं दी जा सकी थीं। एक विशेष अभियान चलाकर मेधावी एवं निर्धन छात्र-छात्राओं को मिलने वाली छात्रवृत्तियों की राशि (बकाये राशि के साथ) विमुक्त करा दी गई है।

इन्टरमीडियेट शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए न केवल इन्टरमीडियेट बोर्ड के कार्यकलापों में सुधार लाया गया, बल्कि सम्बन्धन के लिये लम्बित मामलों को अभियान चलाकर अधिकाधिक संख्या में निष्पादित करा दिया गया है। इन्टरमीडियेट परीक्षा को समय पर आयोजित कराकर समय पर परीक्षा फलों को घोषित कराने की प्रभावकारी व्यवस्था कराई गई है।

विभागीय कार्यदक्षता को बढ़ाने के लिए मुख्यालय एवं विभिन्न निदेशालयों को सुदृढ़ बनाने के साथ-साथ कई एक सुधारात्मक कदम भी लिए गए हैं। जनशिकायतों एवं विलम्ब को दूर करने के उद्देश्य से भी सतत् प्रयास जारी है।

शिक्षा विभाग की जो भी महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ विगत वर्ष में हो पाई है, सारी माननीय मुख्य मंत्री श्री बिन्देश्वरी दूबे जी के निपुण नेतृत्व तथा प्रेरणा के साथ-साथ माननीय शिक्षा मंत्री जी श्री लोकेश नाथ झा जी के कुशल मार्गदर्शन एवं कृपा के कारण ही सम्भव हो सकी है।

माननीय राज्य मंत्री (माध्यमिक शिक्षा) श्री सुरेन्द्र प्रसाद तरुण एवं माननीय राज्य मंत्री (प्राथमिक शिक्षा)) श्री अनुग्रह नारायण सिंह का कुशल संचालन एवं निर्णयों से विभाग को विशेष बल मिल पाया।

आशा है, यह वार्षिक प्रतिवेदन उपयोगी सिद्ध होगा।

**(भास्कर बैनर्जी)**
आयुक्त एवं सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

विकास भवन, पटना
दिनांक 5 जून, 1987

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B Sri Aurobindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No. 3712 H
Date 12/8/87

# विषय सूची


| अध्याय | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| | प्रस्तावना .. .. | (j)–(ii) |
| 1. | सामान्य परिचय तथा वार्षिक योजना (1986–87) .. .. | 1– 2 |
| 2. | प्राथमिक शिक्षा .. .. | 3– 5 |
| 3. | माध्यमिक शिक्षा तथा नेतरहाट आवासीय विद्यालय, इन्दिरा गाँधी बालिका विद्यालय तथा सैनिक स्कूल | 6– 8 |
| 4. | राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् .. .. | 9–15 |
| 5. | प्राच्य एवं एंग्लो इंडियन शिक्षा .. .. | 16–17 |
| 6. | प्रशिक्षण .. .. | –18 |
| 7. | अनौपचारिक एवं वयस्क शिक्षा .. .. | 19–20 |
| 8. | इन्टर मीडियेट शिक्षा .. .. | 21–23 |
| 9. | उच्च शिक्षा .. .. | 24–27 |
| 10. | छात्रवृत्तियाँ | 28–32 |
| 11. | प्रशासनिक संगठन | 33–35 |
| 12. | परिशिष्ट | 36–44 |

अध्याय–1

# सामान्य परिचय तथा वार्षिक योजना (1986-87)

1. 1. बिहार का क्षेत्रफल 1.74 लाख वर्ग किलोमीटर है जो देश के क्षेत्रफल का 5.30 प्रतिशत है। देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का नौवां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार देश का दूसरा बड़ा राज्य है। इसकी जनसंख्या 1981 की जनगणना के अनुसार 6,99,14,734 थी जो देश की जनसंख्या का 10.2 प्रतिशत है। जनसंख्या का घनत्व 402 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था जो देश की घनत्व (221 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर) के दुगुना से थोड़ा कम था। राज्य में प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या 946 थी जबकि देश के लिए यह संख्या 936 थी। राज्य की शहरी जनसंख्या 1981 की जनगणना के अनुसार 87.2 लाख थी जो राज्य की सम्पूर्ण जनसंख्या का 12.47 प्रतिशत है। देश में शहरी आबादी की प्रतिशत 23.7 है। राज्य में प्रथम श्रेणी के शहरों की संख्या 16 है जिनकी आबादी एक लाख से अधिक है। राज्य का सबसे बड़ा शहर पटना है। दूसरा बड़ा शहर जमशेदपुर है। 1981 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या क्रमशः 1,01,42,368 एवं 58,10,867 थी।

1. 2. उक्त जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता का प्रतिशत 26.20 था। पुरुष की साक्षरता का प्रतिशत 38.11 एवं स्त्रियों की साक्षरता का प्रतिशत 13.62 था। देश की साक्षरता का प्रतिशत 36.2 था।

1. 3. बिहार राज्य में तत्काल शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सात विश्वविद्यालय हैं। पटना विश्वविद्यालय एक अध्यापन सह आवासीय विश्वविद्यालय है। शेष छः विश्वविद्यालय अध्यापन-सह-सम्बन्धन विश्वविद्यालय है। कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा का प्रक्षेत्र सम्पूर्ण राज्य में संस्कृत शिक्षा का प्रसार, अध्ययन-अध्यापन एवं शोध से संबंधित है। अन्य विश्वविद्यालयों का प्रक्षेत्र राज्य के एक सीमित क्षेत्र तक ही है। इन सात विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त नालन्दा में एक खुला विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई है। राज्य में अंगीभूत महाविद्यालयों की कुल संख्या 302 है। सम्बन्धन प्राप्त महाविद्यालयों की कुल संख्या 337 है। विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभागों एवं डिग्री महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की कुल संख्या 18500 है जिनमें पुरुषों की संख्या 15300 और महिलाओं की संख्या 3,200 है। छात्रों की कुल संख्या 600.000 है।

1. 4. माध्यमिक शिक्षा के विकास हेतु पूर्व के 66 राजकीय विद्यालयों के अतिरिक्त 2–10–80 से 31–3–87 तक 3127 माध्यमिक विद्यालयों का राजकीयकरण किया गया एवं 450 परियोजना विद्यालय खोले गये। 11–8–80 के पूर्व के सशुल्क आवेदित 8 माध्यमिकविद्यालयों की स्थापना की अनुमति दी गई। 6 नये राजकीय माध्यमिक विद्यालय खोले गये हैं। इस वर्ष 51 स्वत्वधारक विद्यालयों की स्थापना की अनुमति एवं 6 स्वत्वधारक विद्यालयों को पूर्ण प्रस्वीकृति दी गई है। नयी शिक्षा नीति के कार्यान्वयन हेतु 7 नवोदय विद्यालय स्थापित किये गये हैं।

1. 5. राज्य के 10 राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में बी0 एड0 में नामांकन सत्र 86–87 में हुआ। प्रत्येक पुरुष राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में 150 स्थान रखा गया है। महिला राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, रांची में कुल 175 स्थान रखा गया है। राज्य के 56 पुरुष प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों एवं 28 महिला प्राथमिक शिक्षिका शिक्षा महाविद्यालयों में प्रत्येक में क्रमशः 40 एवं 80 स्थान हैं। कुल 19 अनवरत शिक्षा केन्द्र है जिनमें गैर जनजाति क्षेत्र में 17 तथा जनजाति क्षेत्र में 2 है।

1. 6. प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण हो और सभी वर्गो को सुलभ एवं सहज सुविधा मिले इसके लिए वर्ष 1986-87 में 18.500 नये शिक्षकों की नियुक्ति करने का आदेश जिला स्तरीय पदाधिकारियों को दिया गया है।

1. 7. शिक्षा विभाग के प्रशासन का संचालन सचिवालय एवं निदेशालय स्तर के पदाधिकारियों द्वारा होता है। सचिवालय स्तर के पदाधिकारिगण निम्नवत् हैं :—

आयुक्त एवं सचिव
विशेष सचिव
संयुक्त सचिव
उप सचिव
अवर सचिव

1. 8. निदेशालय स्तर के पदाधिकारीगण निम्नांकित हैं :—
निदेशक (उच्च शिक्षा)
निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) सह-संयुक्त सचिव
निदेशक (प्राथमिक शिक्षा) सह-संयुक्त सचिव
निदेशक (शोध एवं प्रशिक्षण)
निदेशक (वयस्क एवं अनौपचारिक शिक्षा) सह-संयुक्त सचिव
विशेष निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
निदेशक (प्रशासन) सह-संयुक्त सचिव
निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद

इन पदाधिकारियों को संयुक्त निदेशक, उप निदेशक तथा सहायक निदेशक कार्य निष्पादन में सहायता करते हैं।

## वार्षिक योजना (1986-87)

1. 9. वर्ष 1986–87 के लिये स्वीकृत वार्षिक योजना कुल 55.85 करोड़ रुपये की थी, जिसका उद्व्यय निम्नलिखित रूप से विभाजित था :—

| | | |
|---|---|---|
| (क) | सामान्य क्षेत्र के लिये | रु0 42.51 करोड़। |
| (ख) | जनजाति क्षेत्र के लिये | रु0 13.34 करोड़। |
| (ग) | इनके अतिरिक्त प्राथमिक शिक्षा के लिये केन्द्रीय सहाय्य | रु0 1.95 करोड़। |

1.10. यह उल्लेखनीय है कि विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष के अन्त तक प्लान उद्व्यय का खर्च प्रायः शत प्रतिशत हुआ ॥

1.11. यह भी एक विशेष उल्लेखयोग्य बात है, कि उपर्युक्त प्लान उद्व्यय के अतिरिक्त विभाग को रु0 1.07 करोड़ की राशि अतिरिक्त उद्व्यय के रूप में प्राप्त कराई गई थी, जिसे भी पूर्णतः व्यय किया गया।

1.12. समय पर प्लान स्कीमों की स्वीकृति तथा सही कार्यान्वयन के लिये विभाग बराबर तत्पर रहा है। मुख्य मंत्री महोदय तथा विभागीय मंत्री महोदय के स्तर पर की गई समीक्षाओं के अतिरिक्त विभागीय पदाधिकारियों द्वारा वरीय स्तर पर नियमित समीक्षाएँ होती रही हैं और प्रगति का मोनिटरिंग होता रहा है। क्षेत्रीय पदाधिकारियों को भी प्रत्येक महीने में नियमित रूप से समीक्षा एवं मोनिटरिंग करने के लिये स्पष्ट निर्देश दिए गये हैं।

1.13. विभिन्न प्रक्षेत्रों के लिये 1986-87 के वार्षिक योजना में जो उपबन्ध थे, और जिनका खर्च प्रायः पूर्णतः किया गया उनका उल्लेख परिशिष्ट 3,4 और 5 में कर दिया गया हैं। प्रत्येक प्रक्षेत्र के भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियों की चर्चा भी इनमें कर दी गई है।

———

अध्याय 2

# प्राथमिक शिक्षा

**2.1. शिक्षकों की नियुक्ति :**–प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण हो और सभी वर्गों को सुलभ एवं सहज सुविधा मिले इसके लिए वर्ष 1986–87 में 18,500 नये शिक्षकों की नियुक्ति करने का आदेश जिला स्तरीय पदाधिकारियों को निम्न प्रकार से दिया गया है।

(क) वर्ष 1985–86 में अन्य क्षेत्रीय योजना के अन्तर्गत 69.20 लाख रुपये की राशि के अन्तर्गत 6475 शिक्षक इकाईयों की स्वीकृति विभागीय पत्रांक 1971 दिनांक 30–9–86 के द्वारा की गयी।

(ख) वर्ष 1986–87 में अन्य क्षेत्रीय योजना के अन्तर्गत पुनः 6475 शिक्षक इकाईयों का स्वीकृत्यादेश विभागीय पत्रांक 2043 दिनांक 30–9–86 के द्वारा निर्गत किया गया है। इसके अतिरिक्त जनजाति क्षेत्र के लिए 3050 इकाई पर नियुक्ति की गयी है।

(ग) शेष 1986–87 के बजट से 2500 मैट्रिक प्रशिक्षित शिक्षक इकाईयों को नियुक्त करने हेतु स्वीकृत्यादेश 23.25 लाख के खर्च पर निर्गत किया गया है। जिसमें 500 शिक्षक इकाई जन जाति क्षेत्र के लिए है।

(घ) इस प्रकार कुल 18500 शिक्षक इकाईयों में से बिहार राज्य में अवस्थित संस्कृत एवं मदरसा विद्यालयों के लिए क्रमशः संस्कृत विद्यालयों के लिए 1296 एवं मदरसा के लिए 1296 शिक्षक इकाईयों निदेशक (मा0 शि0) की उपरोक्त दोनों प्रकार के विद्यालयों के प्रचार प्रसार के लिए दिया गया।

(च) राज्य में अवस्थित वैसे सहायता प्राप्त विद्यालयों जो शिक्षक सामग्री एवं शैक्षिक क्षेत्र में परिपूर्ण है उसे अधिग्रहित करने के लिए 800 शिक्षक इकाईयों को सुरक्षित रखा गया है जिसके माध्यम से 65 प्राथमिक एवं 10 मध्य विद्यालयों का अधिग्रहण किया जायेगा और उससे कमजोर से कमजोर वर्गों को शिक्षा उपलब्ध करायी जायेगी। शिक्षा सचिव द्वारा विभागीय पत्रांक 2099 दिनांक 15–10–86 एवं विभागीय पत्रांक 203 दिनांक 31–1–87 के द्वारा शीघ्रातिशीघ्र कार्रवाई करने का अनुदेश दिया गया है।

(छ) इस प्रकार प्रारंभिक विद्यालयों का प्रचार एवं प्रसार जनसाधारण के बीच हो इसके लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति अधिकाधिक संख्या में की गयी है।

**2.2. जिला साधन केन्द्रों की स्थापना :—**

(क) प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक विकास हो इसके लिए शिक्षकों की योग्यता के अनुसार उन्हें नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत नये पाठ्यक्रमों की तकनीकी जानकारी हेतु नए जिला साधन केन्द्रों की स्थापना समस्तीपुर में की गयी है।

(ख) वर्ष 1986–87 मे इस योजना पर अन्य क्षेत्रीय योजना के अन्तर्गत 3.21 लाख की राशि की स्वीकृति की गयी है जिसमें 84.10 हजार भागलपुर जिला साधन केन्द्र को चालू रखने हेतु स्वीकृत किया गया है एवं शेष राशि नये जिला साधन केन्द्र की स्थापना समस्तीपुर में करने हेतु स्वीकृत किया गया है जिसपर 2.36 लाख की राशि को व्यय करने का प्रावधान है जिसके अन्तर्गत उक्त साधन केन्द्र को महत्वपूर्ण खोज की पुस्तकों की आपूर्त्ति फिल्म प्रोजेक्टर भी0सी0आर0 एवं अन्य शैक्षणिक उपकरण को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है।

**2.3. हरिजन बालिकाओं को मुफ्त पोशाक की आपूर्त्ति :—**

हरिजन छात्राओं का नामांकन प्राथमिक विद्यालयों में अधिक से अधिक हो और उस वर्ग की बालिकाएँ शिक्षा प्राप्त करने के प्रति उत्सुक एवं जागरुक हो इसके लिए वर्ष 1986–87 में कुल 70 लाख रुपये की स्वीकृति की गयी है जिसमें अन्य क्षेत्रीय योजना के लिए 34 लाख रुपये एवं जनजाति क्षेत्र के लिए 36 लाख रुपये का उपबंध है। अन्य क्षेत्रीय योजना के अन्तर्गत स्वीकृत राशि में 83051 हरिजन बालिकाओं की वयक्रम से क्रमशः 6–9, 9–11 एवं 11–14 वर्ष की बालिकाओं को आधे बाँह का समीज एवं सलवार देने की व्यवस्था की गयी है। उसी प्रकार जनजातीय क्षेत्र के लिए भी 36 लाख रुपये मूल्य के मुफ्त पोशाक की आपूर्त्ति की जायेगी।

**2.4. ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अन्तर्गत प्रारंभिक विद्यालयों के लिए उपस्कर, विज्ञान उपकरण एवं शिक्षण सामग्री की आपूर्त्ति की व्यवस्था :—**

वर्ष 1986–87 में ऑपरेशना ब्लैक बोर्ड के अन्तर्गत उपस्कर, विज्ञान उपकरण एवं शिक्षण सामग्री की आपूर्त्ति हेतु 194.00 लाख रुपये का उपबंध किया गया है जिसके अन्तर्गत अन्य क्षेत्रीय योजना में 144 लाख एवं जनजाति क्षेत्र के लिए 50 लाख रुपये के व्यय से नव-निर्मित भवनों को सुसज्जित करने की व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त बचे हुए राशि से नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत 8.51 लाख राशि से विज्ञान की उपकरण के क्रय का निर्णय एन0सी0ई0आर0टी0 से लिया गया है। अन्य क्षेत्रीय योजना में 3697 विद्यालयों को उपस्कर, 2224 विद्यालयों को विज्ञान उपकरण एवं शिक्षण सामग्री में 4200 विद्यालयों को। तदनुसार 50 लाख रुपये में जनजाति क्षेत्र में सुसज्जित करने का लक्ष्य है।

**2.5. पाठ्य-पुस्तकों की आपूर्त्ति :—**

वर्ष 1986–87 में 1 से 5 वर्ग के छात्र एवं छात्राओं के लिए अनुमानित मूल्य पर पाठ्य पुस्तकों की आपूर्त्ति की व्यवस्था हेतु 56 लाखा रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है। पाठ्य पुस्तकों की आपूर्त्ति बिहारर टेक्स्टबुक कमिटि से होती है इसलिए यह राशि प्रबंध निदेशक को दे दिया गया है।

**2.6. समाजोपयोगी उत्पादन कार्य :—**

वर्ष 1986–87 में प्रारंभिक विद्यालयों के उपभोग के लिए विद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों के बीच से ही सामग्रियों का उत्पादन कराया जाय इसके लिए 5 लाख रु० व्यवस्था की गयी है जिसके अन्तर्गत 434 विद्यालयों को रखा गया है और शेष 4 विद्यालयों के लिए यांत्रिक मशीनों के क्रय की व्यवस्था की गयी है जिसके माध्यम से सामग्रियों का उत्पादन किया जायेगा।

**2.7. नामांकन अभियान:—**वर्ष 1986–87 में छात्रवृद्धि के अभियान के अन्तर्गत 6.75 लाख छात्र/छात्राओं को प्रारंभिक विद्यालयों में नामांकन करने की व्यवस्था की गई थी। इस क्रम में 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार से 29.00 लाख रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई है। उक्त अभियान के अन्तर्गत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय करनेवाले जिला, प्रखंड एवं पंचायत को पुरस्कृत करने की व्यवस्था की गई है।

**2.8. विद्यालय के कार्यकलापों की जाँच :—**वर्ष 1986–87 में शिक्षा क्षेत्र में गुणात्मक विकास हो एवं शिक्षक समय पर विद्यालय आवें इसके लिए 10 जिला शिक्षा अधीक्षकों एवं चार क्षेत्रीय उप निदेशकों को जीप की व्यवस्था की गई है।

2.9. अल्प संख्यक प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों के सभी बकाये वेतनादि का भुगतान अद्यतन रूप से करा दिया गया है। चार करोड़ रुपये की स्वीकृति दी जा चुकी है।

2.10. विद्यालयों के गुणात्मक विकास एवं निरीक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए विद्यालय संकुल प्रणाली लागू की जा रही है। स्कूल मैपिंग की व्यवस्था भी लागू कराई जा रही है।

**2.11. बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्राकाशन निगम के कार्यों की उपलब्धि (1986–87)**

राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पाठ्य-क्रम के अनुरूप बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लि0 वर्ग 1 से 10 तक के हिन्दी, उर्दू, बंगला, मैथिली, उड़िया एवं जन-जाति भाषाओं ("संथाली", "मुंडारी", "उराँव" एवं "हो") के छात्रों के लिए पुस्तकें मुद्रित कराकर छात्रों को उपलाब्ध करराती है। सत्र 1986–87 में निदेशक पर्षद द्वारा लगभग 2 करोड़ 35 लाख पुस्तकें मुद्रित करने की स्वीकृति दी गयी॥ पुनरीक्षित पाठ्यक्रम के अनुसार हिन्दी की 7, उर्दू की 10, बंगला की 15, उड़िया की 7 नयी पांडुलिपि के आधार पर पुस्तकें प्रकाशित की गयीं। राज्य सरकार के आदेशानुसार मैथिली की 42 भाषेत्तर विषयों की पुस्तकों का अनुवाद मैथिली अकादमी के सहयोग से हो रहा है। लगभग 15 अनुदित पांडु-लिपि प्राप्त हो गयी है। संथाली भाषा की वर्ग 3 से 8 तक की पांडुलिपि तैयार करायी गयी है। शिक्षा सत्र 1987–88 के लिये लगभग 3 करोड़ पुस्तकें छात्रों को उपलब्ध करायी जायगी।

**2.12. शिक्षा विभाग में नियंत्रित कागज की व्यवस्था :—**

1974 वर्ष में जे0 पी0 आन्दोलन के समय छात्रों ने विभिन्न मांगों में से एक मांग यह भी रखी कि

छात्रों को नियंत्रित मूल्य पर अभ्यास पुस्तिका एवं पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी जाय। छात्रों की इस मांग पर भारत सरकार मानव संसाधन विकास शिक्षा मंत्रालय ने इस मांग को अनुमोदित करते हुए राज्य सरकार को विभिन्न मीलों पर नियंत्रित दर पर कागज आपूर्ति करने लगी। राज्य सरकार को आवंटित कागज राज्य के विभिन्न अभ्यास पुस्तिका निर्माण करनेवाली इकाई एवं पाठ्य पुस्तक के मुद्रण के लिए बिहार स्टेट टेक्स्टबुक कॉरपोरेशन के पक्ष में एवं उत्तर पुस्तिका निर्माण के लिए विभिन्न शिक्षण संस्थानों को आवंटित करती है। आवंटीगण नियंत्रित दर के अनुसार मीलों में राशि जमाकर कागज प्राप्त करते हैं। अभ्यास पुस्तिका निर्माण करनेवाली संबंधित आवंटी नियंत्रित दर पर अभ्यास पुस्तिका निर्माण करके छात्रों को उपलब्ध कराती है। कागज का कोटा प्रत्येक तिमाही में प्राप्त होता है। 1986–87 वर्ष के अन्तर्गत नीचे अंकित तिमाहियों में कुल 10148 मी0 टन कागज प्राप्त हुआ।

| | टेक्स्टबुक मद | अभ्यास पुस्तिका | परीक्षा मद |
|---|---|---|---|
| अप्रेल-जून, 86 | 1480 | 1184 | 296 |
| जुलाई-सितम्बर, 86 | 1562 | 1230 | 308 |
| अक्टूबर-दिसम्बर, 86 | 1380 | 1104 | 276 |
| जनवरी-मार्च, 87 | 629 | 550 | 149 |
| कुलयोग | 5051 | 4068 | 1029 |

पहले कागज विभिन्न मीलों से आपूर्ति कराई जाती थी। हाल ही में भारत सरकार ने नियंत्रित कागज की आपूर्ति हिन्दुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लि0 के द्वारा आपूर्ति कराने का निर्णय लिया है। कागज के वितरण के लिए शिक्षा-मंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कागज वितरण एवं नियंत्रण समिति गठित है। इसी समिति के द्वारा प्रत्येक तिमाही में प्राप्त कागज को आवंटितयों के बीच में आवंटित करने का निर्णय लिया जाता है। 7200 रु0 प्रति टन के आधार पर संबंधित मील के द्वारा आपूर्ति की जाती है। अभ्यास पुस्तिका निम्नलिखित दरों पर उपलब्ध करायी जाती है।

| क्रमांक | अभ्यास पुस्तिका का प्रकार (पृष्ठवार) | संशोधित मूल्य (प्रति में) सभी कर सहित। |
|---|---|---|
| 1. | 64 पृष्ठ अनवाउण्ड | 85 पैसा |
| 2. | 48 पृष्ठ अनवाउन्ड | 75 पैसा |
| 3. | 96 पृष्ठ वाउन्ड | 1.65 पैसा |
| 4. | 144 पृष्ठ वाउन्ड | 2.35 पैसा |
| 5. | 192 पृष्ठ वाउन्ड | 3.00 रुपये |
| 6. | 72 पृष्ठ ओवलांग | 1.95 पैसा |

अध्याय 3

# माध्यमिक शिक्षा

3.1. माध्यमिक शिक्षा के उन्नयन एवं सम्यक विकास हेतु पूर्व के 66 राजकीय विद्यालयों अतिरिक्त 2–10–80 से 31-3–87 तक 3127 माध्यमिक विद्यालयों का राजकीयकरण किया गया एवं 450 परियोजना विद्यालय खोले गये।

3.2. 11–8–80 के पूर्व के सशुल्क आवेदित 8 माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की अनुमति दी गयी।

3.3. 6 नये राजकीय माध्यमिक विद्यालय कंकड़बाग पटना छपरा, मुजफ्फरपुर, कटिहार, फारबिसगंज (पूर्णिया) तथा गिरीडीह मैं खोले गये हैं जिनके लिये 11.75 लाख रु0 की राशि स्वीकृत की गयी।

3.4. **अल्पसंख्यक विद्यालयः—**

राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों की तरह अल्प संख्यक माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को बर्धित चिकित्सा भत्ता, नगरक्षति पूर्त्ति भत्ता, अतिरिक्त महंगाई भत्ता तथा बोनस देने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है और तदनुसार आदेश निर्गत किया गया है। इस वर्ष अल्पसंख्यक विद्यालयों को अनुदान के रुप में 7.19 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है।

3.5. **स्वत्वधारक विद्यालय :—**

इस वर्ष 51 स्वत्वधारक विद्यालयों की स्थापना की अनुमति एवं 6 स्वत्वधारक विद्यालयों की पूर्ण प्रस्वीकृति दी गयी है।

3.6. **विकास कार्य :—**

(क) वित्त सहित 128 एवं 15 वित्त रहित +2 विद्यालयों के अतिरिक्त 1986-87 में जनजाति क्षेत्र में 20 एवं गैर जनजाति क्षेत्र में 80 कुल 100 माध्यमिक विद्यालयों में +2 शिक्षा पद्धति लागू कराने का निर्णय लिया गया।

(ख) 1986-87 में सामान्य योजना क्षेत्र के उप एवं जनजाति क्षेत्र के 6 माध्यमिक विद्यालयों में व्यवसाय-उन्मुखी शिक्षा लागू करने का निर्णय लिया गया है। स्कीम बना ली गई। भारत सरकार से 100% सहायता मिलने वाली हैं।

(ग) 300 प्रखण्डों में खोले गये कन्या परियोजना उच्च विद्यालयों के अधिकांश भवनों के निर्माण के कार्य प्रगति पर है। चालीस ऐसे विद्यालयों में भवन पूरे हो गये हैं। इनके लिये 14.80 लाख रुपये की राशि स्वकृति की गयी है।

(घ) 1981-82 में खुले 73 परियोजना विद्यालयों के भवन निर्माण कार्य की आगे बढ़ाने हेतु 36.50 लाख रु00 की राशि स्वीकृत की गयी है।

(ङ) 72 राजकीय मा0 विद्यालयों के लिये उपस्कर, उपकरण मद में 40.000 रुपये प्रति विद्यालय की दर से 28.80 लाख की स्वीकृति दी गयी है।

(च) 1986-87 में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिये 400 अतिरिक्त शिक्षक पद सृजित किये गये हैं जिनमेंमें 50 जनजाति क्षेत्र में है।

3.7. **शौचालय :—**

160 राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों में शौचालय निर्माण हेतु 9.60 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गयी है।।

3.8. **उपस्कर :—**

राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों की उपस्कर हेतु योजना मद से 37.50 लाख रुपये एवं गैर योजना मद से 33 लाखख की राशि स्वीकृत की गयी है। इसके अतिरिक्त 28.00 लाख रु0 +2 विद्यालयों में उपस्कर हेतु स्वीकृत की गयी है।।

3.9. **भवन निर्माण :—**

(क) भवन विहित राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु कुल 36.92 लाख रुपये की स्वीकृति दी गयी हैं।

(ख) 72 राजकीयकृत +2 विद्यालयों के भवन निर्माण हैतु 1.08 करोड़ की स्वीकृति दी गयी है।

(ग) राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण के लिये योजना मद से 1.96 करोड़ रुपये एवं गैरयोजना मद से 50 लाख रुपये की स्वीकृति दी गयी है।

3.10. **नयी शिक्षा नीति का कार्यान्वियन :—**

(क) 7 नवोदय विद्यालय कुमारबाग (प0 चम्पारण), मधुबनी, विरौली (समस्तीपुर), हंसडीहा (दुमका), शेखपुरा, (मुँगेर), आरा (भोजपुर) तथा गुमला में स्थापित किया गया।

(ख) 1986-87 में कम्प्युटर शिक्षा लागू करने हेतु 25 +2 माध्यमिक विद्यालयों का चयन किया गया और इसके लिये 3.00 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गयी। कमप्यूटर का प्रशिक्षण भी आयोजित कराया गया। भविष्य में और भी +2 विद्यालयों को कमप्यूटर दिए जायेंगे।

3.11. पंचम शिक्षा सर्वेक्षण कार्य चालू है। इसके लिये प्रशिक्षण वर्क शाप आयोजित किये गये। 4 राज्यों के प्रतिनिधि आये थे।

3.12. केन्द्र सरकार द्वारा, राज्य में चार, केन्द्रीय विद्यालयों की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा भेजे गये प्रस्तावों पर दी गई है। राज्य सरकार द्वारा इनके लिये पटना, मुजःफफरपुर, बेगुसराय तथा लक्खीसराय में मुफ्त जमीन उपलब्ध कराई गई थी और 4 जिलों के लिये प्रस्ताव भी भेज दिए गये हैं।

## नेतरहाट आवासीय विद्यालय

3.13. आवासीय विद्यालय, नेतरहाट की स्थापना राज्य सरकार द्वारा माध्यमिक स्तर की उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 1954 में की गयी थी। तब से इस विद्यालय की ख्याति सिर्फ राज्य के भीतर नहीं बल्कि पूरे देश में व्याप्त है। राज्य सरकार ने 1986–87 में इस विद्यालय के विकास हेतु निम्न परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की है :—

3.14. नेतरहाट विद्यालय में जलापूर्ति (वाटर स्पलाई) को बरकरार रखने के उद्देश्य से विशेष मरम्मति के लिए स्वीकृत्यादेश सं0 206 दिनांक 25–11–86 के द्वारा 3,08,000/ रु० की स्वीकृति प्रदान की गई तथा 2.00 लाख रु० की आवंटन दिया गया।

3.15. विद्युत् की बरकरार रखने के उद्देश्य से शक्ति गृह का निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत्यादेश सं0 160 दिनांक 24–9–86 के द्वारा 1,84,765–रु0 की स्वीकृति दी गयी एवं राशि का आवंटन दिया गया।

3.16. नेतरहाट विद्यालय के शैल भवन, जो जर्जर अवस्था में थी उसकी मरम्मति हेतु स्वीकृत्यादेश सं0 153 दिनांक 23–9–86 के द्वारा 45,950–रु0 की स्वीकृति दी गयी एवं राशि का आवंटन दिया गया।

3.17. विद्यालय भवन के मुख्य सड़क को कोलतार करने हेतु स्वीकृत्यादेश सं0 153 दिनांक 23–9–86 के द्वारा 1,86,700–रु0 की स्वीकृति दी गयी एवं आवंटन दिया गया।

3.18. विद्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ आश्रम में परिवर्तन एवं परिवर्द्धन हेतु स्वीकृत्यादेश सं0 153 दिनांक 23–9–86 द्वारा 3,19,900–रु0 की स्वीकृति प्रदान की गयी तथा 2,90,830–रु0 आवंटित किया गया।

3.19. प्राचार्य आवासगृह को निर्माण कार्य हेतु स्वीकृतादेश सं0 201 दिनांक 28–10–86 के द्वारा 6,12,200–रु0 की स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारंभ हेतु 1,00,000–रु0 का आवंटन दिया गया।

3.20. 16 अदद चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के आवास गृह निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत्यादेश संख्या 177 दिनांक 28–10–86 के द्वारा 12,87,900–रु0 की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा कार्य शुरू करने हेतु 2,50,000–रु0 आवंटित किया गया।

3.21. 8 अदद तृतीय वर्गीय कर्मचारियों के आवास गृह निर्माण हेतु स्वीकृत्यादेश संख्या 181 दिनांक 28-10-86 के द्वारा 13,26,590-रु0 के लागत पर परियोजना की स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य शुरू करने हेतु 2,50,000-रु0 आवंटित किया गया।

## इन्दिरा गांधी बालिका विद्यालय (आवासीय) हजारीबाग

3.22. इन्दिरागाँधी बालिका विद्यालय, हजारीबाग की स्थापना 1983-84 वर्ष में माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं के उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से नेतरहाट पैटर्न पर की गयी है। इस विद्यालय में छठे वर्ग में प्रतियोगिता के आधार पर प्रतिवर्ष 75 छात्राओं का नामांकन किया जाता है। इस विद्यालय के विकास हेतु 1986-87 में राज्य सरकार ने निम्न परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की :—

3.23. विद्यालय भवन निर्माण हेतु स्वीकृत्यादेश संख्या 168 दिनांक 13-3-87 के द्वारा 98,21,600-रु0 की लागत्त पर परियोजना की स्वीकृति दी गयी तथा 1986-87 में 10.00 लाख रुपया कार्य प्रारंभ के लिए दिया गया।।

3.24. 12 इकाई का सह-अध्यापिकाओं के आवासगृह निर्माण के लिए स्वीकृत्यादेश संख्या 114 दिनांक 3-3-87 के द्वारा 20,93,600-रु0 की लागत पर परियोजना की स्वीकृति दी गयी तथा कार्य प्रारंभ हेतु 5,00,000-रु0 का आवंटन दिया गया।

3.25. इन्दिरागाँधी बालिका विद्यालय, हजारीबाग में निर्मित क्वार्टर संख्या 8/12, 8/35, 8/32, 8/98, 8/99, 8/80 8/101, 8/102 एवं 8/103 में मरम्मति हेतु स्वीकृत्यादेश संख्या 196 दिनांक 26-3-87 के द्वारा 2,96,489 रु0 की स्वीकृति देते हुए कार्य शुरू करने हेतु 35,000-रु0 दिया गया।

3.26. विद्यालय में भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान एवं गृह विज्ञान के प्रयोगशालाओं में परिवर्तन के लिए स्वीकृत्यादेश संख्या 195 दिनांक 26-3-87 द्वारा 3,16,550-रु0 की स्वीकृति दी गयी तथा कार्य प्रारंभ करने हेतु 40,000-रु0 आवंटित किया गया।

## सैनिक स्कूल तिलैया

3.27. इस राज्य में सैनिक स्कूल, तिलैया स्थापित है जो देश में खुले सैनिक स्कूलों में 12वां है। इसकी स्थापना 16 सितम्बर, 1963 को इस उद्देश्य से हुई थी कि सेना के पदाधिकारी सम्वर्ग में बिहार का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाय। इस कोटि के पदाधिकारियों में बिहार का औसत अन्य राज्यों से अपेक्षाकृत कम रहने के कारण राज्य सरकार द्वारा इस स्कूल की स्थापना राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की प्रवेश परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करने के उद्देश्य से की गयी है। सैनिक स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों से प्रतिवर्ष 7,500-रु0 प्रति छात्र शुल्क लिया जाता है। राज्य सरकार इस विद्यालय के बिहारी छात्रों को 5500-रु0 प्रतिवर्ष तथा केन्द्र सरकार 2,000 रु0 प्रति वर्ष छात्रवृत्ति के रूप में स्वीकृत करती है। इस श्रेणी में आने वाले छात्रों के अभिभावकों की मासिक आय 2,000 रु0 प्रति माह के अन्दर होने की शर्त्त निर्धारित है। राज्य के बाहर के सैनिक स्कूलों में पढ़ने वाले बिहारी छात्रों को भी राज्य सरकार इसी तरह से छात्रवृत्ति स्वीकृत करती है।

3.28. 1986-87 में राज्य सरकार द्वारा बिहारी छात्रों को छात्रवृत्ति के मद में कुल 33,23,700 रु0 की स्वीकृति दी गयी है जिससे 626 छात्र लाभान्वित हुए हैं। इसके अतिरिक्त सैनिक स्कूल, तिलैया को उसके विभिन्न विकास कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए कुल 28,56,600 रु0 की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 1986-87 में दी गयी है।

अध्याय 4

# राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, बिहार, पटना-800006

**परिचय :—**

राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् की स्थापना वर्ष 1981 में की गई थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य विद्यालीय शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक विकास है। इस संस्थान का प्रारंभ 8 विभागों से किया गया था; परन्तु, क्रमशः इसमें विस्तार होता गया। इसके साथ अब एक राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान सम्मिलित हो गया है। इस प्रौद्योगिकी संस्थान में शैक्षिक वीडियो फिल्म की तैयारी शुरू हो गई है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन का भी मुख्य भार इसी संस्थान को सौंपा गया है।

**4.1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कार्यान्वयन :—**

(क) **राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं उसकी कार्रवाई योजना का मुद्रण** :—राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं उसकी कार्रवाई योजना के वृहत प्रचार, प्रसार एवं प्रशिक्षण के लिए अंग्रेजी संस्करण की 10,000 प्रतियाँ तथा इसका हिन्दी रूपान्तर कर 10,000 प्रतियाँ मुद्रित करायी गयी। इन पुस्तकों का शिक्षकों, प्रशासकों एवं शिक्षाविदों में निःशुल्क वितरित किया गया।

(ख) **प्रत्येक जिला में प्रधानाध्यापकों की गोष्ठी** :—प्रधानाध्यापकों, प्राचार्यों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं उसकी कार्रवाई योजना के विभिन्न आयामों से परिचित कराने के लिए जिलावार गोष्ठियों का आयोजन कराया गया है।

(ग) **नवोदय विद्यालय की स्थापना** :—नवोदय विद्यालयों की स्थापना के लिए स्थल का चयन तथा अन्य प्रारंभिक कार्य एस0सी0ई0आर0टी0 मुश्तैदी के साथ कर रहा है। वर्ष 1986–87 में बिहार में 7 नवोदय विद्यालय स्थापित हुए तथा इस वर्ष 13 जिला में नवोदय विद्यालय खोलने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस प्रकार गत वर्ष बिहार का स्थान द्वितीय तथा इस वर्ष पूरे देश में प्रथम रहा है।

(घ) **शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण का राष्ट्रीय कार्यक्रम** :—राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन की कड़ी में इस योजना को बहुत महत्व दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत 5 वर्षों में सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न आयामों में प्रशिक्षित करने की योजना है। इस योजना के अधीन गत वर्ष 39,550 शिक्षकों के प्रशिक्षण के लक्ष्य के विरुद्ध 36,088 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। इन शिक्षकों को बिहार के प्रत्येक जिला में स्थापित 198 केन्द्रों में प्रशिक्षित किया गया था।

वर्ष 1987 में भी 40,000 शिक्षकों के प्रशिक्षण की योजना है। इस योजनाधीन ग्रीष्मावकाश में प्रशिक्षण-कार्यक्रम चलाने संबंधी कार्रवाई की जा रही है।

**4.2. व्यवसायोन्मुखी शिक्षा का कार्यान्वयन :—**

इसके कार्यान्वयन की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं :

(क) शिक्षा विभाग के 40 चयनित विद्यालयों के मौलिक साधनों, समीप में उपलब्ध सुविधाएँ, आर्थिक तथ्यों तथा छात्रों की क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से व्यावसायिक विषयों का चयन किया जा सकता है, इस बात पर एक कर्मशाला का आयोजन रा0शि0शो0 एवं प्रशिक्षण परिषद्, पटना-6 में दिनांक 6–8 अक्टूबर 1986 को किया गया। इसके अतिरिक्त इस त्रि-दिवसीय कर्मशाला में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् तथा तमिलनाडु सरकार के विशेषज्ञों के सहयोग से पाठ्यक्रम, वित्तीय भार, प्रशासनिक व्यवस्था, उद्योग तथा मूल्यांकन से संबंधित अलग-अलग अनुशंसाएँ तैयार की गई, जिसके आलोक में कार्यान्वयन की प्रक्रिया जारी है।

(ख) परिषद् ने विद्यालयों द्वारा चयनित 16 प्रकार के व्यावसायों के लिए आवश्यक उपकरणों की सूची तथा उन पर लगने वाले अनुमानित व्यय का विस्तृत ब्यौरा तैयार कर राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। पुनः व्यावसायोन्मुखी शिक्षा को लागू करने के लिए अनुमानित कुल व्यय का लेखा भी परिषद् द्वारा तैयार कर दिया गया है।

(ग) व्यावसायोन्मुखी शिक्षा सर्वेक्षण पर एक अन्य कार्यक्रम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्,, नई दिल्ली द्वारा राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, पटना के परिसर में दिनांक 18–20 मार्च 1987 तक आयोजित किया गया। चार राज्यों-उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बिहार से 40 प्रतिभागियों को इसमें आमंत्रित किया गया था।

बिहार के प्रतिभागी "की परसन्स" के रूप में ग्रामीण संस्थान, बिरौली (समस्तीपुर) तथा नेतरहाट विद्यालय, पलामू के प्रतिनिधि एवं सांख्यिकी पदाधिकारी तथा रा0शि0शो0 एवं प्रशिक्षण परिषद्, बिहार पटना शामिल हुए।

(घ) व्यावसायोन्मुखी शिक्षा से जुड़े पदाधिकारियों के उन्मुखीकरण हेतु एक विचार गोष्ठी-सह-कर्मशाला का आयोजन राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली में दिनांक 11–13 मार्च 1987 को किया गया था। उक्त कार्यक्रम में इस परिषद् के दो पदाधिकारियों ने भाग लिया। व्यावसायिक मार्गदर्शन के कार्यक्रमों में उनकी सेवाओं का उपयोग किया जायगा।

(च) राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कार्रवाई योजना में 7वीं पंचवर्षीय योजनावधि के अंत तक +2 स्तर में नामांकित कम-से-कम 10 प्रतिशत छात्रों को व्यावसायोन्मुखी शिक्षा धारा के अन्तर्गत लाने की प्रतिबद्धता स्पष्टतः अंकित है। इस लक्ष्य के आलोक में परिषद् ने राज्य सरकार को भावी लक्ष्य तथा वित्तीय भार के बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए एक विवरणी प्रस्तुत की है, जिसके अन्तर्गत यह अंकित है कि 10 प्रतिशत छात्र को 1990 तक व्यावसायोन्मुखी शिक्षा का लाभ देने हेतु 600 विद्यालयों में कुल 25 करोड़ के लागत व्यय पर इसका विस्तार करना होगा।

**4.3. उच्च स्तरीय कार्यान्वयन समितियों का आयोजन :—**

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के आयोजन एवं मॉनिटरिंग हेतु राज्य सरकार द्वारा तीन उच्च स्तरीय समितियाँ गठित की गई हैं। मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की उप समिति, शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में विभागीय समिति एवं मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पदाधिकारियों एवं शिक्षाविदों की समितिगठित की गई है। इन समितियों में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की दो बैठकें हो चुकी हैं।

**4.4. शैक्षिक सर्वेक्षण :—**

"ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड" के कार्यान्वयन हेतु दो प्रकार के शैक्षिक सर्वेक्षण प्रारंभ किए गये हैं। बिहार के आठ जिलों के सैम्पुल शैक्षिक सर्वेक्षण का आयोजन एवं कार्यान्वयन इस संस्थान द्वारा किया जा रहा है।।

**4.5. विद्यालय संकुल :—**

विद्यालयों के सही निरीक्षण एवं आपसी तालमेल के लिए विद्यालय संकुल गठित करने की योजना है। इसके लिए कार्य-पत्रक तैयार किए जा चुके हैं तथा शीघ्र ही इसके आयोजन हेतु बैठक होने वाली है।

**4.6. पाठ्यक्रम की संरचना :—**

प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा पर आधारित बिहार के परिपेक्ष्य में पाठ्यक्रम का प्रारूप तैयार कर लिया गया है, जिसे शीघ्र अंतिम रूप दिया जायगा।

**4.7. राष्ट्रीय प्रतिभा खोज की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन :—**

1986–87 सत्र में प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर बिहार के 68 विद्यार्थियों ने अंतिम रूप से राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। संख्या के आधार पर पूरे देश में बिहार का स्थान तृतीय था। प्रथम एवं द्वितीय क्रमशः महाराष्ट्र एवं तमिलनाडू राज्य थे।

44. 8. **यूनिसेफ सहायता प्राप्त परियोजनाएं :—**

यूनिसेफ की सहायता से शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु 5 परियोजनाएँ चलायी जा रही है। इन परियोजनाओं में बिहार की उपलब्धि काफी ऊँची रही है। परियोजना–1 फतुहा प्रखण्ड के 108 प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में चलाये जा रहे है। परियोजना–4 (पूर्व प्राथमिक शिक्षा) बिहार के 5 जिलों के 65 प्राथमिक विद्यालयों में चलाये जा रहे हैं। इन विद्यालयों का निरीक्षण चीन से आये पदाधिकारी ने भी किया था तथा इसकी काफी प्रशंसा की थी।

यूनिसेफ की सहायता से एक नयी योजना प्रारंभ करने की योजना बनायी जा रही है। इसके तहत् सुविधा विहीन बच्चों की टी0भी0 से शिक्षा देने की योजना है।

44. 9. **राज्य शैक्षिक प्राद्योगिकी संस्थान (शैक्षिक दूरदर्शन उत्पादन केन्द्र) :—**

**(क) शैक्षिक दूरदर्शन फिल्मों का निर्माण :—**

इस योजना के तहत् संस्थान के परिसर में स्थापित टी0वी0 स्टूडियो में बच्चों के लिए 15 फिल्मों का निर्माण हो चुका है, जिसका प्रसारण दक्षिणी छोटानागपुर के 5 जिलों के लगभग 700 टी0वी0 सेट स्थापित प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के लिए किया जायगा।

टी0वी0 सेटों के संधारण के लिए आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ की जा चुकी है।

(ख) इस केन्द्र के एक प्रोड्यूसर, तीन उत्पादन सहायकों, एक ग्राफिक आर्टिस्ट तथा दो तकनीकी सहायकों को ए0आई0बी0डी0 तथा सी0आई0ई0टी0 के सहयोग से आयोजित 40 दिवसीय प्रशिक्षण चर्या में प्रशिक्षित कराया गया।

ए0आइ0बी0डी0 में प्रशिक्षित एक प्रोड्यूसर, तीन उत्पादन सहायक तथा एक तकनीकी सहायक ने भारत सरकार के अन्तरिक्ष विभाग द्वारा आयोजित 90 दिवसीय प्रशिक्षण चर्या में सफलता पूर्वक भाग लिया।

(ग) संस्थान के दो तकनीकी सहायकों को कॉम्पसन फाउन्डेशन (यू0के0) के सहयोग से केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली में आयोजित तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान कराया गया।

## विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग

4. 10. **प्रशिक्षण :—**

**(क) प्राथमिक स्तरीय विज्ञान शिक्षकों का प्रशिक्षण :—**

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रति वर्ष की भाँति प्राथमिक विद्यालयों के 900 विज्ञान शिक्षक/शिक्षिकाओं के लिए 28 दिवसीय प्रशिक्षण चर्या का आयोजन 20 केन्द्रों में किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों की विज्ञान शिक्षा की नई प्रवृत्तियों, विशेषकर पर्यावरण-अध्ययन उपागम से अवगत कराना है तथा वर्ग शिक्षण में उनके द्वारा अनुभूत शैक्षिक कठिनाइयों का निदान करना है।

**(ख) मध्य स्तरीय शिक्षकों की सेवाकालीन प्रशिक्षण चर्या :—**

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रति वर्ष की भांति मध्य विद्यालयों के 450 शिक्षक/शिक्षिकाओं के लिए भाषा, गणित और समाज अध्ययन विषयों में 21 दिवसीय प्रशिक्षण चर्याओं का आयोजन 12 सत्रों में किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों को शिक्षण की प्रभावी विधि से अवगत कराना है तथा उन्हें विषय प्रकरण में समृद्ध करना है।

**(ग) पर्यावरण अध्ययन पर विशिष्ट कर्मशाला का आयोजन :—**

पर्यावरण अध्ययन-अध्यापन की नई शैली है, जो इस बात पर बल देती है कि बच्चों को केवल तथ्यों, नियमों आदि की जानकारी कराने के बजाय उनमें कुशलताएँ विकसित की जानी चाहिए ताकि उनमें समस्या

समाधान की योग्यता विकसित हो सके। इस उद्देश्य की पूर्त्ति हेतु प्रति वर्ष की भाँति इस वर्ष भी 6 दिवसीय कर्मशाला का आयोजन किया गया। इस कर्मशाला में 6–7वें वर्ग की विज्ञान विषयक पुस्तकों पर शैक्षिक सामग्री तैयार की गई।

**(घ) अनवरत शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण :—**

इसका उद्देश्य मध्य एवं माध्यमिक स्तरीय सभी विषयों के शिक्षकों को नये पाठ्यक्रम एवं पाठ्य-वस्तु से अवगत कराना तथा विषय-प्रकरण में उनकी योग्यता का विस्तार करना है। राज्य के 19 केन्द्रों में अनवरत शिक्षा कार्यक्रम एस0सी0ई0आर0टी0 के निर्देशन पर चलाया जा रहा है, जिससे राज्य भर के शिक्षक लाभान्वित हो रहे हैं। अबतक सभी विषयों के शिक्षक अपने-अपने विषयों में प्रशिक्षित हो चुके हैं। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, बिहार में इस योजनान्तर्गत इस वर्ष लगभग 400 शिक्षक प्रशिक्षित किए जा चुके हैं।

**4.10. विज्ञान सेमिनार का आयोजन :—**

विज्ञान सेमिनार का आयोजन किशोर वैज्ञानिकों में स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना विकसित करने के उद्देश्य से प्रति वर्ष किया जाता है। यह प्रतियोगिता माध्यमिक विद्यालयों के लिए विद्यालय से लेकर राष्ट्र स्तर तक विभिन्न स्तरों पर आयोजित की जाती है। उसमें नेशनल कौंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम द्वारा निर्धारित वैज्ञानिक विषय पर भाषण प्रतियोगिता आयोजित होती है। राज्य स्तर तक की प्रतियोगिता का आयोजन राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् के तत्वावधान में होता है। राज्य स्तर पर चयनित छात्र/छात्रा राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। 1986 के इस आयोजन में माध्यमिक स्तरीय संवर्ग से बी0की0सी0 मिशन बा0उ0वि0, डालटेनगंज की छात्रा सुश्री स्मिता मेगुमी मिंज तथा मध्य स्तरीय संवर्ग से एस0ई0 रेलवे जी0एम0 स्कूल, चक्रधरपुर, सिंहभूम की छात्रा सुश्री पौलमी सरकार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।

इस वर्ष भाषण का विषय हरित क्रान्ति और हमारा भविष्य था। आरम्भ से बच्चों में वैज्ञानिक रुझाना उत्पन्न करने के उद्देश्य से परिषद् अपने स्तर से मध्य विद्यालयों के लिए भी उक्त विषय पर भाषण प्रतियोगिता आयोजित करती है। इसकी अन्तिम कड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता होती हैं।

**4.10. विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन :—**

छात्रों एवं सामान्य जनमानस में विज्ञान के प्रति सहज एवं स्वाभाविक अभिरुचि उत्पन्न करने के उद्देश्य से प्रति वर्ष विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित की जाती है।

विज्ञान सेमिनार की तरह इस आयोजन का संबंध भी विद्यालय से लेकर राष्ट्र तक के आयोजन से है। गत वर्ष राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ विद्यालय के लिए अयोध्या उच्च विद्यालय (ज्ञान भारती), बेगूसराय को तथा सर्वश्रेष्ठ जिला के लिए बेगूसराय को पुरस्कृत किया गया।

विद्यालीय क्रिया-कलापों में इस कार्यक्रम का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस आयोजन को देखने प्रतिदिन लगभग 5 से 10 हजार लोग आते हैं और लाभान्वित होते हैं।

पूर्वांचल राज्यों के लिए क्षेत्रीय स्तर पर फरवरी 1987 में गौहाटी (असम) में आयोजित पूर्वी भारत विज्ञान कैम्प में राज्य के 40 छात्र/छात्राएँ तथा 10 अभिभावक शिक्षकों ने भाग लिया तथा सराहनीय प्रदर्शन कर राज्य का नाम रोशन किया।

उल्लेखनीय है कि बिहार राज्य को सर्वोत्कृष्ट मंडप के लिए सर जे0सी0 बोस शील्ड प्रदान किया गया। लगातार तीन वर्षों तक इस शील्ड के विजेता होने के कारण यह शील्ड स्थायी रूप से परिषद् को हस्तगत करर दिया गया हैं।

**4.10.3. विज्ञान लेखन प्रतियोगिता का आयोजन :—**

वित्तीय वर्ष 1986–87 से 14+ से 18+ के विद्यालयीय बच्चों में विज्ञान लेखन के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करने तथा ऐसे प्रतिभावान बच्चों को प्रोत्साहित करने हेतु राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्, विज्ञान एव्वं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार तथा एन0सी0ई0आर0टी0, नई दिल्ली नें राष्ट्रीय विज्ञान लेखन प्रतियोगिता

आयोजित करने का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इस संदर्भ में 31 मार्च 1987 को जिला स्तरीय प्रतियोगिता की अंतिम तिथि थी। इस प्रतियोगिता के आधार पर 40 छात्र/छात्राओं का चुनाव राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है। यह प्रतियोगिता 31–5–87 को परिषद् में होगी। इस प्रतियोगिता के विजेता राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। यह प्रतियोगिता 5 जुलाई 1987 को होने वाली है। इस प्रतियोगिता के प्रथम विजेता को 10,000 रु0 तथा द्वितीय बिजेता को 5,000 रु0 की राशि से पुरस्कृत करने की घोषणा है। जिला स्तरीय प्रतियोगिता का विषय इस प्रकार था :—

(i) कतिपय स्थानीय अंधविश्वास एवं उनके उद्भव।
(ii) क्या विज्ञान हमें संगठित करता है ?
(iii) ऊर्जा की बचत क्यों न करें ?

**4.1.11. रिसर्च एवं पायलट प्रोजेक्ट :—**

यह कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 1985–86 से प्रारंभ किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित शोध कार्य किये जा रहे हैं :—

(क) माध्यमिक विद्यालयों की छात्राओं का विज्ञान शिक्षण में शैक्षिक उपलब्धि और असंज्ञात्मक ( Incognitive ) कारकों के बीच के संबंध का अध्ययन।

(ख) बिहार के जनजाति क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा के विकास का सर्वेक्षण।

(ग) शिक्षार्थी की उपलब्धियों के परिप्रेक्ष्य में प्राथमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम की प्रभावकारिता का अध्ययन।

**4.1.12. जनसंख्या शिक्षा परियोजना :—**

यू0एन0एफ0पी0ए0 के सहयोग से विगत 6 वर्षों से जनसंख्या शिक्षा परियोजना चलायी जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्र छात्राओं में जनसंख्या के विस्फोट के फलस्वरूप सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण आदि में हो रहे कुपरिणाम से अवगत कराना है, ताकि जब वे बालिग हों तो छोटे परिवार के महत्व को समझें। ये सभी कार्यक्रम शिक्षा के माध्यम से ही किये जा रहे हैं। इस क्षेत्र में बिहार की उपलब्धि की सराहना अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई हैं।

इस अवधि में 1,11,000 विद्यालीय शिक्षा का उन्मुखीकरण किया गया। औपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत अववोधों को यथा स्थान दिया गया है। बिहार देश में प्रथम राज्य है, जिसमें माध्यमिक परीक्षा के प्रश्न-पत्रों में जनसंख्या शिक्षा से संबंधित प्रश्नों के लिए 20 प्रतिशत सुरक्षित कर दिया है। भावी शिक्षकों को जनसंख्या शिक्षा से परिचित कराने के लिए प्राथमिक से लेकर एम0एड0 तक के शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में जनसंख्या शिक्षा का समावेशन किया गया है।

बच्चों में जनसंख्या शिक्षा के प्रति कितनी जागरूकता हुई है, इसके अंकन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित चित्रांकन प्रतियोगिता के प्राथमिक स्तर के बच्चों में बिहार का स्थान प्रथम रहा है।

गत वर्ष के मुख्य कार्य एवं उपलब्धियाँ निम्नवत् हैं :—

**(क) निबंध प्रतियोगिता :**—राष्ट्रीय स्तर की आयोजित निबंध प्रतियोगिता में बिहार का स्थान प्रथम रहा है।

**(ख) कर्मशालाओं का आयोजन :**—इन कर्मशालाओं में अनौपचारिक शिक्षा की पाठ्य-पुस्तकों में वैसे स्थलों का पता लगाया गया, जहाँ जनसंख्या शिक्षा के विचारों को समाहित किया जा सके। इसके साथ-साथ अनौपचारिक शिक्षा क्षेत्र के लिए जनसंख्या शिक्षा के विभिन्न अवबोधों की जानकारी देने हेतु मॉड्यूलों को विकसित कर मुद्रित कराया गया।

**(ग) जनसंख्या आधारित प्रदर्शनी का आयोजन :**—चार्ट, मॉडल, पोस्टर, ग्राफ आदि की प्रतियोगिता प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसमें 27 जिलों को छात्र/छात्राओं ने भाग लेकर 39 प्रदर्शों को प्रदर्शित किया गया। राज्य सरकार की ओर से बिजेता छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति देने की योजना प्रारंभ की गई। यह योजना मात्र बिहार ही में प्रारंभ की गई।

(घ) **मूल्यांकन** :—जनसंख्या शिक्षा के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए विद्यालय के छात्र, शिक्षकों तथा अभिभावकों का मूल्यांकन का कार्यक्रम जारी है।

**4.13. सामुदायिक गायन शिविर का आयोजन :—**

स्कूली बच्चे/बच्चियों में राष्ट्रीय एकता की भावना को जागृत तथा समृद्ध करने के लिए सामुदायिक गायन शिविर का आयोजन किया जाता है। गत वर्ष यह कार्यक्रम बोकारो स्टील सिटी, नारायणी कन्या विद्यालय, पटना एवं गर्दनीबाग बालिका उच्च विद्यालय में आयोजित किया गया था, जिसमें करीब 152 शिक्षक/शिक्षिकाओं को प्रशिक्षित किया गया।

**41.4. कम्प्यूटर शिक्षा :—**

बिहार के 68 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर आधारित शिक्षा प्रारंभ की गई है। इस शिक्षा के आयोजन, कार्यान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए इस संस्थान को नोडल एजेन्सी मनोनीत किया गया है। अन्य विद्यालयों में यह शिक्षा प्रारंभ करने के लिए स्कूलों का सर्वेक्षण प्रारंभ किया जा चुका है तथा परिषद् के परिसर में एक पावरफुल कम्प्यूटर स्थापित किया जा रहा है, जिसका उपयोग इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गहन प्रशिक्षण पर विचार किया जायगा।

**4.15. अंग्रेजी भाषा में 4 मासीय प्रशिक्षण :—**

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उच्च विद्यालय के अंग्रेजी भाषा के 100 शिक्षकों के लिए दो सत्रों में 4 मासीय प्रशिक्षण चर्याओं का आयोजन किया जाता है। वर्ष 1986–87 में भी दो सत्र चलाये गये। इस चर्या में शिक्षकों को अंग्रेजी भाषा के स्ट्रक्चर, फोनेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स और शिक्षण विधि की जानकारी कराई जाती है।

**4.16. अंग्रेजी भाषा शिक्षण को विशेष प्रभावकारी बनाने की योजना :—**

(क) जिला पायलट केन्द्र की स्थापना :—उच्च विद्यालयों में अंग्रेजी भाषा शिक्षण की गुणता बढ़ाने की दृष्टि से जिला स्कूल, मुजफ्फरपुर में जिला पायलट केन्द्र की स्थापना की गई। इस केन्द्र में राज्य के उच्च विद्यालयों के अंग्रेजी शिक्षकों के लिए 10 दिवसीय सेवाकालीन प्रशिक्षण चर्याएँ आयोजित होगी। साथ ही इस केन्द्र को पत्राचार पाठ्यक्रम के द्वारा प्रशिक्षण कार्य का निष्पादन करना है।

इसी योजना के अधीन राँची में भी एक पायलट केन्द्र खोलने की योजना में राज्य सरकार की सहमति प्राप्त की गई।

**4.17. भवन निर्माण :—**

परिषद् प्रांगण में रु0 36.20 लाख की लागत पर 108 व्यक्तियों के लिए छात्रावास-सह-अतिथिशाला का निर्माण, भवन निर्माण विभाग (बिहार सरकार) द्वारा कराया गया है। भवन के निर्माण पूर्ण हो चुका है। मात्र जल-व्यवस्था कराना शेष रह गया है। इसके अतिरिक्त कई भंडार-गृहों का भी निर्माण हुआ है।

परिषद् तथा राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के कर्मचारियों के लिए 56 फ्लैट का निर्माण, भवन निर्माण विभाग द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें 8 फ्लैटों का निर्माण पूरा कराया जा चुका है।

इसके अतिरिक्त ऐसे भवन, जिसे आवास के रूप में परिवर्तित किया गया, उनमें आवश्यक परिवर्द्धन भी कराये गये।

परिषद् के प्रांगण में सीमेंट की सड़क निर्माण कार्य भी प्रारंभ किया जा चुका है।

**4.18. विकलांग बच्चों की समन्वित शिक्षा परियोजना :—**

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य विकलांग बच्चों को समाज की मुख्य धारा में समाहित करना है। बिहार में विकलांग बच्चों के लिए जनवरी 1983 ई0 में विकलांग शिक्षा परियोजना प्रारंभ की गई। यह परियोजना राज्य के 10 केन्द्रों में चलाई जा रही थी। वर्ष 1986–87 में 5 अतिरिक्त और विद्यालयों में इस योजना का विस्तार किया गया है।

विगत 2 अक्टूबर 1986 को इस योजनाधीन दृष्टि-विहीन बच्चे/बच्चियों को निःशुल्क ब्रेल वाच तथा संबंधित विद्यालयों को निःशुल्क टाईपराईटर दिये गये थे। इस योजना से संबंधित परिषद् के पदाधिकारियों को दिल्ली, देहरादून एवं पूने में विशेष रूप से प्रशिक्षित कराया गया है।

इन बच्चों के शिक्षण पर होने वाले व्यय का वहन भारत सरकार करती है।

———

अध्याय 5

# प्राच्य एवं ऐंग्लो इण्डियन शिक्षा

**संस्कृत शिक्षा :**

5. 1. राज्य में संस्कृत भाषा की पढ़ाई एवं उनकी परीक्षाओं का संचालन करने हेतु बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड गठित है। राज्य के मध्यमा स्तर तक के विद्यालयों के संचालन, नियंत्रण एवं परीक्षा संचालन का कार्य बोर्ड के अधीन है। राज्य में कुल 442 अराजकीय संस्कृत विद्यालय प्रथम चरण में प्रस्वीकृत थे और पुनः 205 विद्यालयों को प्रस्वीकृति दी गयी है। इनमें कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वेतन और भत्ता के मद में राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है॥ 1986-87 वित्तीय वर्ष में 442 पूर्व से प्रस्वीकृत विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वेतन एवं महंगाई भत्ता की 13 किस्त के मद में कुल रु0 3,74,74,006 की स्वीकृति दी गयी है॥ इसी तरह 205 नव प्रस्वीकृत विभिन्न स्तर के संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वेतन एवं महंगाई भत्ता आदि के मद में कुल रु0 1,77,73,805 की राशि 1986-87 वित्तीय वर्ष में स्वीकृत की गयी है। गैर जनजाति क्षेत्र में अवस्थित अराजकीय प्रस्वीकृत कुल 50 विद्यालयों के भवन निर्माण, उपस्कर क्रय एवं पुस्तकालयों की समृद्धि हेतु कुल रु0 9,80,000 स्वीकृत किये गये हैं। उक्त 442 संस्कृत विद्यालयों में 1-1-83 से 31-3-83 तक कार्यरत शिक्षकों के महंगाई भत्ता के बकाये 13 किस्तों का भुगतान करने हेतु भी कुल रु0 1,12,51,182 की राशि इस वित्तीय वर्ष 1986-87 में स्वीकृत की गयी है।

5. 2. संस्कृत के विख्यात एवं अभावग्रस्त पंडितों को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु भारत सरकार से प्राप्त कुल रु0 3,54,180 की राशि भी वितरण के लिए राज्य सरकार ने स्वीकृत की है। ऐसा केन्द्र चालित योजना के अन्तर्गत किया गया है॥

## मदरसा शिक्षा

5. 3. राज्य में मदरसा शिक्षा प्रदान करने के लिए प्राथमिक स्तर से लेकर स्नाकोत्तर स्तर तक के कुल 1027 मदरसा हैं। इन्हें राज्य सरकार सहाय्य अनुदान देती है जिससे शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वेतन एवं महंगाई भत्ता आदि का भुगतान होता है॥ इन मदरसों में आधुनिक विषयों की पढ़ाई एवं व्यावसायिक शिक्षा भी साथ-साथ दी जाती है। इन 1027 मदरसों के लिए कुल 7608 शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की इकाई स्वीकृत हैं और उनके वेतनादि के भुगतान के लिए 1986-87 में कुल रु0 8,09,07,681 स्वीकृत किये गये हैं॥

5. 4. उपर्युक्त मदरसों के नियंत्रण, पर्यवेक्षण, प्रबन्ध संचालन तथा मदरसा की प्रस्वीकृति और उनके बीच अनुदान के वितरण केलिए बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड गठित है। यह बोर्ड इन मदरसों के विभिन्न स्तर की परीक्षाओं का आयोजन तथा परीक्षाफल के प्रकाशना आदि का कार्य भी सम्पादित करता है। मदरसा शिक्षा बोर्ड की स्थापना मद में व्यय के लिए प्रतिवर्ष रु0 2.60 लाख का अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है।

5. 5. जनजाति तथा गैर जनजाति क्षेत्र में अवस्थित मदरसों में पढ़ने वाले वस्तानियां स्तर से फाजिल स्तर तक के छात्रों को राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति की स्वीकृति प्रतिवर्ष दी जाती है। इसके अतिरिक्त मदरसों के भवन्न निर्माण, उपस्कर तथा पुस्तकालय के लिए भी सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। 1986 वर्ष में पहली बार दीक्षान्त समारोह का आयोजन कर मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा आलिम और फाजिल की परीक्षाओं में जिन छात्रों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, उन्हें बिहार के भूतपूर्व राज्यपाल, श्री ए0 आर0 किदवई द्वारा दिया गया स्वार्ण-पदक्क प्रदान किया गया।

5. 6. मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित सभी परीक्षायें समय पर ली जाती हैं तथा परीक्षाफल भी समय पर प्रकाशित किये जाते हैं। इस बोर्ड की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह भी है कि सभी वार्षिक परीक्षाओं के मामले में 'परीक्षा-फल कम्पूटर के सहारे प्रकाशित किए गये हैं। इस कारण इसके द्वारा प्रकाशित परिणामों के अंक पत्रक भी कम्पूटर के द्वारा तैयार किये जा रहे हैं।

# ऐंग्लो इण्डियन स्कूल

55. 7. ऐंग्लो इन्डियन स्कूल मुख्यतः ऐंग्लो इन्डियन एवं क्रिश्चन समुदाय द्वारा स्थापित है। इन विद्यालयों में शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी है। इन विद्यालयों में सभी संप्रदाय के छात्र/छात्राओं का नामांकन प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होता है। बिहार राज्य के अधीन स्टेट बोर्ड ऑफ ऐंग्लो इन्डियन एजुकेशन गठित है। इस बोर्ड के अध्यक्ष स्वयं शिक्षा मंत्री और सदस्य-सचिव, इन्सपेक्टर, ऐंग्लो इन्डियन स्कूल, बिहार हैं। इस बोर्ड द्वारा प्रस्वीकृत विद्यालयों का शैक्षिक नियंत्रण इन्सपेक्टर ऑफ ऐंग्लो इन्डियन स्कूल्स के अधीन है। विशेष निदेशक (मा0शि0) पदेन इन्सपेक्टर ऑफ ऐंग्लो इंडियन स्कूल भी होते हैं।

55. 8. माध्यमिक स्तर के लिए सर्टिफिकेट मूलतः दो संस्थाओं द्वारा प्रदान किया जाता हैं। ये संस्थायें हैं (1) सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्डरी एजुकेशन, नई दिल्ली एवं (2) इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन बोर्ड, नयी दिल्ली। ये दोनों स्टैचुटरी बोर्ड हैं तथा इन संस्थाओं से सम्बद्ध विद्यालय सारे भारत वर्ष में फैले हैं। ऑग्ल भारतीय विद्यालय की परीक्षा इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन बोर्ड नयी दिल्ली द्वारा ली जाती है। राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने पर ही इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन बोर्ड से ऑग्ल भारतीय विद्यालयों को प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

55. 9. इन्टर स्टेट बोर्ड फौर ऐंग्लो इंडियन एजुकेशन, नयी दिल्ली को प्रतिवर्ष राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। अन्य राज्यों की तरह इस राज्य के विभिन्न भागों में प्रारंभिक एवं माध्यमिक स्तर की संस्थाएँ इस बोर्ड से संबद्ध है। उन संस्थाओं का पाठ्यक्रम निर्धारण, उनमें स्तरमान को कायम रखने तथा वृद्धि के प्रयास इत्यादि का भार इस बोर्ड का है। इस बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षा का स्तरमान काफी ऊँचा है जिसकी वजह से राज्य की नयी-नयी संस्थाएँ इस बोर्ड से संबद्धता प्राप्त करना चाहती है। इस बोर्ड को प्रतिवर्ष 2400 रुपये का अनुदान राज्य सरकार देती थी। परन्तु गत वित्तीय वर्ष (1986–87) से यह अनुदान की राशि बढ़ाकर 5000 रुपये प्रतिवर्ष कर दी गयी है। राज्य के 7 (सात) ऐंग्लो इंडियन प्राथमिक विद्यालयों को वित्तीय वर्ष 1986-87 में संचालन अनुदान के रूप में राज्यादेश संख्या 120, दिनांक 31–3–87 के द्वारा 12,696 रुपये तथा वेतन अनुदान के रूप में 804 रुपये की स्वीकृति राज्यादेश संख्या 121, दिनांक 31–3–87 के द्वारा दी गयी है। राज्य के 3 (तीन) ऐंग्लो इंडियन माध्यमिक विद्यालयों को 1986–87 में वेतन अनुदान के रूप में 9,275 रुपये की स्वीकृति राज्यादेश संख्या 108, दिनांक 26–3–87 के द्वारा दी गयी है तथा संचालन अनुदान के रूप में 44,725 रुपये की स्वीकृति राज्यादेश संख्या 107, दिनांक 26–3–87 के द्वारा दी गयी है।

55. 10). दिनांक 25 और 26 अप्रील 1987 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इन्टर स्टेट बोर्ड फौर ऐंग्लो इंडियन एजुकेशन और कौंसिल फौर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन की बैठक हुई थी जिसमें ऐंग्लो इंडियन स्कूलों के प्रति राज्य सरकार से सहयोगात्मक और रचनात्मक व्यवहार की भरपुर प्रशंसा की गई।

अध्याय 6

# प्रशिक्षण

6.1. राज्य के 10 राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में बी0 एड0 में नामांकन सत्र 1986–87 में हुआ। प्रत्येक पुरुष राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में 150 स्थान रखा गया है, जिसमें 20 स्थान महिलाओं के लिए तथा 50 स्थान वास्तविक अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए आरक्षित रखा गया है। महिला राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, राँची में कुल स्थान 175 रखा गया है, जिसमें 50 स्थान वास्तविक महिला अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए सुरक्षित हैं। पुरुष प्रशिक्षण महाविद्यालय, राँची में कुल स्थान 150 रखा गया है, जिसमें 50 स्थान वास्तविक अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए सुरक्षित है। इसमें महिला अभ्यर्थियों का नामांकन नहीं होगा।

6.2. राज्य के 56 पुरुष प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों एवं 28 महिला प्राथमिक शिक्षिका शिक्षा महाविद्यालयों में प्रत्येक में क्रमशः 1986–88 सत्र में नामांकन हेतु 40 और 80 स्थान आरक्षित है, जिसमें 5 प्रतिशत स्थान सैनिकों के प्रतिपाल्यों के लिए आरक्षित किये गये हैं। प्रत्येक प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय में 25 स्थान अप्रशिक्षित वास्तविक शिक्षकों के लिए अलग से आरक्षित किये गये हैं। सैनिकों के प्रतिपाल्यों का नामांकन किया जा चुका है तथा सभी प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों में नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है।

6.3. कुल 19 अनवरत शिक्षा केन्द्रों जिसमें गैर जन-जाति क्षेत्र में अवस्थित 17 अनवरत शिक्षा केन्द्रों के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 1986–87 के लिए कुल 5,04,900,00 रुपये की स्वीकृति विभागीय आदेश संख्या 1012 दिनांक 10–9–86 के द्वारा की गयी है। जन-जाति क्षेत्र में अवस्थित दो अनवरत शिक्षा केन्द्रों के लिए 1,60,000 रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

6.4. गैर जन-जाति क्षेत्र में अवस्थित प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों में पुस्तकालयों के समृद्धिकरण, उपस्कर तथा शिक्षण सामग्री की आपूर्ति के लिए 1,10,000 तथा जन-जाति क्षेत्र के लिए 30,000 (तीस हजार) रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

6.5. राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, गया, छपरा एवं हजारीबाग की स्थायी अवधि विस्तार की कार्रवाई की जा रही है।

6.6. गैर जन-जाति क्षेत्र में अवस्थित राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के पुस्तकालयों के समृद्धिकरण उपस्कर तथा टीचिंग एड की आपूर्ति के लिए योजना मद से 1,10,000 एवं जन-जाति क्षेत्र के लिए 50,000 रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

6.7. ट्रेनिंग कॉलेज के भवन निर्माण एवं मरम्मति मद में वित्तीय वर्ष 1986–87 में 20 लाख रुपये उपबंधित हैं, जिसमें अधूरे कार्य को पूरा करने हेतु 1986–87 में निम्नलिखित ट्रेनिंग कॉलेज को राशि आवंटित की गई हैं :—

| | | |
|---|---|---|
| 1. | ट्रेनिंग कॉलेज, देवघर | 7,46,600 |
| 2. | ट्रेनिंग कॉलेज, गया | 5,00,000 |
| 3. | ट्रेनिंग कॉलेज, हजारीबाग | 5,00,000 |
| 4. | ट्रेनिंग कॉलेज, छपरा एवं समस्तीपुर | 2,53,400 |
| | कुल | 20,00,000 |

6.8. प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों के भवन मरम्मति हेतु वित्तीय वर्ष 1986–87 में 15,41,000 रुपये का बजट उपबंध है, जिसमें अबतक 14,11,644 रुपये आवंटित किया जा चुका है।

अध्याय 7

# अनौपचारिक एवं वयस्क शिक्षा

77.11. **भौतिक उपलब्धि (1986-87)**

11.28 लाख शिशिक्षों के नामांकन लक्ष्य के समक्ष कुल 14,20,010 शिशिक्षु नामांकित किये गये जिनमें 5,46,876 महिलायें 3,04,428 अनुसूचित जाति एवं 2,49,431 अनुसूचित जन-जाति के सदस्य हैं।

77.12. कुल 29971 केन्द्र जिसमें 7500 बालिका केन्द्र तथा 1200 मध्य स्तरीय केन्द्र संचालित हैं। इन संचालित केन्द्रों में कुल 8,34,114 शिशिक्षु नामांकित हैं। इनमें 4,10,029 बालिकायें हैं 2,17,077 अनुसूचित जाति एवं 164,589 अनु0जन जाति हैं।

77.13. संलग्न विवरणी के अवलोकन से वयस्क एवं अनौपचारिक शिक्षा की प्रगति के संबंध में स्थिति पूर्ण रूपेण स्पष्ट हो जाती है।

| क्रमांक | स्कीम | स्वीकृत राशि | | कुल स्वीकृत राशि | स्वीकृत्यादेश संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 111. | **वयस्क शिक्षा कार्यक्रम** | भारत सरकार | राज्य सरकार | | |
| | वयस्क शिक्षा निदेशालय के सृजित पदों का अवधि विस्तार | 4,76,900 | 2,65,700 | 7,42,600 | 2068/22-7-86 |
| 222. | 27 सामान्य योजना क्षेत्र के जिला व0शि0 पदा0 के पदों का अवधि विस्तार | 26,43,570 | 8,21,016 | 34,64,586 | 2069/22-7-86 |
| 333. | राज्य सरकार के सम्पूर्ण व्यय पर सामान्य योजना क्षेत्र के 5 प्रायोगिक परियोजनाओं का अवधि विस्तार | – | 26,32,900 | 26,32,900 | 2071/22-7-86 |
| 444. | राज्य सरकार के खर्च पर सामान्य योजना क्षेत्र के 200 परियोजनाओं का अवधि विस्तार | – | 5,59,99,900 | 5,59,99,900 | 2071/22-7-86 |
| 555. | जन जाति क्षेत्रों के 4 जिला व0शि0 पदा0 एवं कर्मचारियों के पदों का अवधि विस्तार | 4,04,700 | 1,21,600 | 5,26,300 | 24/15-7-86 |
| 666. | राज्य सरकार के खर्च पर जन-जाति क्षेत्रों के 51 परियोजनाओं का अवधि विस्तार | – | 1,94,20,150 | 1,94,20,150 | 25/15-7-86 |
| 777. | भारत सरकार के सम्पूर्ण व्यय पर जन-जाति क्षेत्रों के 7 परियोजनाओं का अवधि विस्तार | 54,20,300 | – | 54,20,300 | 28/16-7-86 |
| 888. | सौरिया पहाड़ियों आदिवासियों के लिए विशेष योजना | – | 1,71,800 | 1,71,800 | 23/15-7-86 |
| 999. | दीपायतन के लिए अनुदान | – | 2,33,078 | 2,33,078 | 2620/21-9-86 |
| 1000. | भारत सरकार के संपूर्ण व्यय पर सामान्य यो0 क्षेत्र के 49 परियोजनाओं का अवधि विस्तार | 4,61,51,950 | – | 4,61,51,950 | 688/19-3-87 |
| 1111. | गणतंत्र दिवस समारोह | – | 23,000 | 23,000 | 658/12-3-87 |
| 1222. | डा0 जाकिर हुसैन न-औपचारिक एवं अनवरत शिक्षण संस्थान को अनुदान | – | 1,88,000 | 1,88,000 | 640/12-3-87 |
| | | 5,50,97,420 | 7,98,77,144 | 13,49,74,564 | |

# स्वीकृत राशि

| क्रमांक | अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम | भारत सरकार | राज्य सरकार | कुल स्वीकृत राशि | स्वीकृत्यादेश संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | जन जाति क्षेत्रों के 3272 प्राथमिक स्तरीय केन्द्र एवं 245 मध्यस्तरीय केन्द्रों को चालू रखना | 33,14,049 | 24,98,120 | 58,12,169 | 190/11-11-86 एवं 941-29-3-87 |
| 2. | जन जाति क्षेत्रों के वि0अ0 588 केन्द्रों को चालू रखना | 5,52,720 | 2,00,000 | 7,52,720 | 191/12-11-86 एवं 942/29-3-87 |
| 3. | जन जाति क्षेत्रों को मात्र बालिकाओं के 1248 सामान्य केन्द्रों को चालू रखना | 20,94,768 | 4,65,504 | 25,60,272 | 192/12-11-86 एवं 944/29-3-87 |
| 4. | जन जाति क्षेत्र के बि0अ0 में बालिकाओं के लिए 312 केन्द्रों को चालू रखना | 5,23,692 | 1,16,376 | 6,40,068 | 189/11-11-86एवं 943/29-3-87 |
| 5. | निदेशालय में सृजित पदों का अवधि विस्तार | 62,500 | 62,500 | 1,25,000 | 202/15-1-87एवं 823/25-3-87 |
| 6. | साधन केन्द्रों के लिए राशि की स्वीकृति | 1,80,184 | 1,80,184 | 3,60,368 | 201/15-1-87 एवं 817/25-3-87 |
| 7. | 69 प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय के सुदृढ़ीकरण पर व्यय की स्वीकृति | 2,24,250 | 2,24,250 | 4,48,500 | 200/5-1-87एवं 822/25-3-87 |
| 8. | सा0 योजना क्षेत्र के 11826 प्रा0 स्तरीय एवं 955 मध्य स्तरीय केन्द्रों को चालू रखना | 1,20,71,576 | 1,05,65,240 | 2,26,36,816 | 197/15-1-87एवं 820/25-3-87 |
| 9. | सामान्य योजना क्षेत्र के विशेष अंगीभूत 5585 केन्द्रों को चालू रखना | 52,04,862 | 45,79,930 | 97,84,792 | 198/15-1-87एवं 819/25-3-87 |
| 10. | बालिकाओं के लिए सामान्य योजना क्षेत्र के 1760 केन्द्रों को चालू रखना | 79,89,660 | 8,87,740 | 78,77,400 | 199/15-1-87 एवं 821/25-3-87 |
| 11. | बालिकाओं सामान्य योजना क्षेत्र के विशेष अंगीभूत 1180 केन्द्रों को चालू रखना | 19,80,600 | 2,20,070 | 22,00,670 | 203/15-1-87एवं 824/25-3-87 |
| | | 3,41,98,961 | 1,99,99,914 | 5,41,98,775 | |

अध्याय 8

# इन्टरमीडियेट शिक्षा

:8. 1. **1987 इन्टरमिडियेट परीक्षा के संबंध में एक रूप व्यवस्था हेतु :—**

राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के परीक्षा नियंत्रकों की बैठक आयोजित कर 1987 इन्टरमीडियेट परीक्षाओं का संचालन, विश्वविद्यालय के माध्यम से, कराने के लिये महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये।

:8. 2. 15–1–1987 तक बिना विलम्ब शुल्क के और 27–1–1987 तक विलम्ब शुल्क के साथ परीक्षा प्रपत्रों एवं शुल्क स्वीकार करने की तिथि निर्धारित कर प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कराई गयी। यह निर्णय लिया गया है कि बिना सूचीकरण, शुल्क स्वीकार नहीं किया जाय। इसका निदेश विश्वविद्यालयों को भी दिया गया जिससे गत परीक्षाओं के भांति इस वर्ष छात्रों का परीक्षाफल लंबित न रहने पाये।

:8. 3. 1987 इन्टरमीडियेट की परीक्षा अप्रैल 1987 के प्रथम संप्ताह में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। बिहार इन्टरमीडियेट शिक्षा परिषद के माध्यम से सभी विश्वविद्यालयों के लिये एक समान परीक्षा कार्य तैयार करवा कर इसे प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का आदेश दिया गया। वार्षिक परीक्षा 1987 अधिक से अधिक डेढ़ माह में (अप्रैल) 1987 के प्रथम सप्ताह से शुरू कर, मई 1987 के द्वितीय सप्ताह के अन्दर समाप्त करने का आदेश दिया गया है। साथ ही जुलाई 1987 के प्रथम सप्ताह में इन्टरमीडियेट विज्ञान का परीक्षाफल प्रकाशित कर देने का निदेश विश्वविद्यालयों को दिया गया है जिससे मेडिकल, इन्जीनियरिंग तथा आई0आई0टी0 की प्रतियोगिता परीक्षाओं में बिहार राज्य के छात्र वंचित न रह सकें। कला एवं वाणिज्य परीक्षाओं का परीक्षा फल अगस्त, 1987 तक निश्चित रूप से प्रकाशित कर देने का निदेश विश्वविद्यालयों को दिया गया है।

:8. 4. समय पर परीक्षा का संचालन तथा परीक्षा फल निर्धारित तिथि तक प्रकाशित हो जाय, इस संबंध में परीक्षा प्रपत्रों की आपूर्ति, प्रश्न पत्रों का चयन तथा मुद्रण, उत्तर पुस्तिकाओं की आपूर्ति, परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, सरणीयन कार्य इत्यादि यथा समय पूरा किया जाय, इस संबंध में भी आवश्यक विश्वविद्यालयों को दिया गया।

:8. 5. 1987 परीक्षा से संबंधित विभिन्न कोटि के महाविद्यालयों (अंगीभूत/सम्बद्ध/प्रस्वीकृत/योग्य प्रस्तावित तथा+2 विद्यालयों) की सूची सभी विश्वविद्यालयों को भेजी गई।

:8. 6. 1983 से 1986 इन्टरमीडियेट परीक्षाओं से संबंधित लंबित कार्यों का सम्पादन कराया गया है।

(i) 1983 परीक्षा के लंबित परीक्षाओं का प्रकाशन, अंक पत्रों का निर्गमन, अस्थायी प्रमाण पत्रों, द्वितीयक अंक पत्रों (छात्रों द्वारा मांग करने पर) निर्गत किये गये हैं।

(ii) 1983 से 1985 परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्रों को प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु प्रमाण पत्रों का मुद्रण कराया गया है।

(iii) 1983 परीक्षा से संबंधित, परीक्षकों, प्रश्न चयनकों, मर्यादकों, सारणियकों, विक्षकों के लंबित पारिश्रमिक देयकों का भुगतान किया गया है।

(iv) 1984 एवं 1985 परीक्षाओं जो विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित कराई गयी थी, इससे संबंधित आवश्यक कागजात जैसे सारिणीयन बही, परीक्षा फलों इत्यादि को परिषद को हस्तगत कराने के लिये विश्वविद्यालयों को आदेश दिया गया है। भागलपुर विश्वविद्यालय से ये कागजात प्राप्त हो चुके। शेष विश्वविद्यालयों को स्मार पत्र भेजे गये है।

(v) 1986 इन्टरमीडियेट परीक्षाओं की स्थिति भेजने के लिये विश्वविद्यालयों को आदेश दिया गया है। ललित नारायण विश्वविद्यालय तथा राँची विश्वविद्यालय को 1986 का परीक्षाफल शीघ्र प्रकाशित करने के लिये आदेश दिया गया है और इसकी स्थिति परिषद को भेजने के लिये कहा गया है।

8. 7. **सूचीकरण एवं अनुमानित संबंधी कार्य भी पूरे कराये गये हैं :—**

( i) सत्र 1985–87 के नियमित एवं स्वतंत्र छात्रों का सूचीकरण एवं अनुमति प्रपत्रों एवं शुल्क अतिरिक्त विलम्ब दंड के साथ 20–12–1986 तक परिषद् कार्यालय में स्वीकार कराया गया है।

( ii) सत्र 1985–87 में लगभग 2,,50,000 नियमित तथा 65,000 स्वतंत्र छात्रों का सूचीकरण एवं अनुमति का कार्य कराया गया है। कतिपय आपत्तियों के कारण लंबित मामला का निराकरण करवाकर सूचीकरण एवं अनुमति का कार्य अभी कराये जा रहे हैं।

(iii) सत्र 1984–85 से पूर्व ऐसे छात्रों को बिना सूचीकरण के परीक्षा में सम्मिलित हो गये थे ऐसे छात्रों से प्रवेश पत्र की छाया प्रति मांग कर विलम्ब दंड के साथ इनका सूचीकरण एवं अनुमति के कार्य को कराने के लिये आदेश दिया गया है और इस दिशा में अधिकांश लंबित कार्य का सम्पादन कराया जा चुका है।

(iv) सत्र 1986–88 के लिये भी लगभग 50 प्रतिशत महाविद्यालयों से निर्धारित तिथि 15–12–86 तक नियमित छात्रों का सूचीकरणा प्रपत्र एवं शुल्क परिषद् में बिना विलंब शुल्क जमा कर दिये गये हैं।

(v ) सत्र 1982–83 से 1984–86 तक के लंबित सूचीकरण एवं अनुमति के कार्यों का निष्पादन के लिये अलग से एक अभिलेखागार प्रशाखा की स्थापना की गई जिनके माध्यम से अधिकांश लंबित कार्यों को सम्पादित कराये जा चुके हैं।

8. 8. **इस वित्तीय वर्ष में दिसम्बर, 1986 तक कई महाविद्यालयों को प्रस्वीकृति उपलब्ध कराई गई :—**

( i) 132 प्रस्वीकृत महाविद्यालयों में से 22 महाविद्यालयों को प्रस्वीकृति कार्यकाल में अभी तक प्रदान किये गये 95 महाविद्यालयों की प्रस्वीकृति की अवधि का दीर्घीकरण केवल सत्र 1985–87 के लिये किया गया और 8 महाविद्यालयों को सत्र 1985–87 की प्रस्वीकृति विस्तारित की गयी है।

( ii) प्रायः सभी योग्य प्रस्तावित महाविद्यालयों को प्रस्वीकृति संबंधी शर्तों को पूरा करने के लिये आदेश दिये गये हैं।

(iii) प्रस्वीकृति की शर्तों की पूर्ति करने के बाद 37 महाविद्यालयों का निरीक्षण कराया गया जिसकी प्रस्वीकृति की दिशा में कार्रवाई की जा रही है।

(iv) 28 महाविद्यालयों की शर्तों की पूर्ति करने के बाद 1987 परीक्षा के लिये इन्हें योग्य प्रस्तावित महाविद्यालय घोषित किये गये।

(v ) परिषद् में प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर प्रस्तावित महाविद्यालयों की सूची क्रमबद्ध तैयार करवाया गया।

(vi) दो बिवादास्पद महाविद्यालयों की सुनवाई की गई इनमें से एक निर्णय लिया जा चुका है और एक अभी विचाराधीन है।

8. 9. **स्थापना संबंधी कार्य भी पूरे कराये गये हैं :—**

( i) स्थापना से संबंधित सामान्य कार्यों के अतिरिक्त राज्य सरकार के आदेश से सहायक के स्वीकृत पद पर नियुक्त कर्मचारियों के व्यक्तिगत भविष्य निधि खाते खोले गये और इसमें अध्यतन राशि संचित करायी गयी।

( ii) स्वीकृत पद पर परिषद् द्वारा 23–9–1981 से नियुक्त 14 सहायकों 8 पदचरों तथा एक गाड़ी चालक की सेवा की सम्पुष्टि दो वर्षों की परीक्ष्यमान अवधि के बाद की तिथि से की गयी।

(iii) प्रशाखा पदाधिकारी के रिक्त पदों पर विधिवत नियुक्ति पर विचार करने के लिये एक स्थापना समिति का गठन किया गया है।

(iv) परिषद् कार्यालय के वर्त्तमान कार्यभार को देखते हुए इसे सुव्यवस्थित ढंग से चलाने एवं प्रोपर सुपरविजन के लिये कार्यों को अन्तरिम व्यवस्था करने का आदेश दिया गया।

( v) प्रतिनियुक्त कर्मचारियों जो बिरमित हो चूके हैं, इनका अंतिम वेतन प्रमाण पत्र तथा अवकाश इत्यादि का लेखा जोखा निर्गत कराया गया।

(vi) परिषद् में अभी कोई नयी नियुक्ति नहीं की गई है। उपलब्ध पदाधिकारियों एवं सहायकों से ही काम कराया गया है।

8.10. **लेखा संबंधी भी पूरे कराये गये हैं :--**

(1) दैनिक लेखा सम्बन्धी सामान्य कार्य जैसे कलेक्शन, लेखा का पालन, लम्बित देयकों का भुगतान इत्यादि के अतिरिक्त निम्नांकित लम्बित कार्यों का सम्पादन कराया गया।

(क) परिषद् के विघटन के कारण पारिश्रमिक से सम्बन्धित ऐसे चेकों जिनकी निकासी परिषद् के बैंक खाते को बंद करने के कारण नहीं हो सकी थी, उन्हें रद्द कर उनके बदले करीब 150 नये चेक निर्गत कराये गये।

(ख) 1983 परीक्षा से सम्बन्धित लगभग 8–10 परीक्षा केन्द्रों के केन्द्र व्यय से सम्बन्धित लम्बित कार्य कराये गये।

(ग) 1983 परीक्षा से सम्बन्धित आई0 डी0 एम0 के लम्बित देयकों का निपटारा कराया गया और इसका भुगतान किया गया।

(घ) परिषद् के पुराने मकान के बकाये किराये की राशि भुगतान करने के सम्बन्ध में विधि विभाग का परामर्श प्राप्त कर इसके भुगतान की दिशा में कार्रवाई की जा रही है।

(ङ) स्थापना व्यय (वेतनादि), टेलीफोन, बिजली, विज्ञापन इत्यादि का अद्यतन भुगतान किया गया है।

(च) राज्य सरकार सांख्यिकी विभाग द्वारा माँग करने पर वित्तीय वर्ष 1984–85 तथा 1985–86 के वास्तविक आय-व्यय की विवरणी सांख्यिकी शिक्षा विभाग को भेजवायी गयी है।

(छ) लेखा-पालन को अद्यतन कराने की दिशा में ठोस कार्रवाई की गई है।

8.11. **भंडार संबंधी कार्य भी पूरे कराये गये हैं :—**

1987 इन्टरमीडियेट परीक्षा के लिये राज्य सरकार द्वारा इन्टरमीडियेट शिक्षा परिषद् को आवंटित 208 मैट्रीक टन कागज क्रय करने हेतु सम्बन्धित मिलों को आपूर्ति आदेश निर्गत किया गया है और इसके लिये अग्रिम का भुगतान किया गया है। इनमें से 96.736 मैट्रीक टन कागज प्राप्त हो चुके हैं। शेष कागज की आपूर्ति के लिये मिलों को स्मारित किया जा चुका है।

---

अध्याय 9

# उच्च शिक्षा

9. 1. बिहार राज्य में तत्काल शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सात विश्वविद्यालय अवस्थित हैं जो निम्नवत हैं :—

1. पटना विश्वविद्यालय ।
2. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर ।
3. मगध विश्वविद्यालय, बोध गया ।
4. राँची विश्वविद्यालय, राँची ।
5. भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर ॥
6. ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा ।
7. कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा ।

पटना विश्वविद्यालय एक अध्यापन एवं आवासीय विश्वविद्यालय है तथा शेष छः विश्वविद्यालय अध्यापन-सह-संबन्धन विश्वविद्यालय हैं ।

कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा का प्रक्षेत्र सम्पूर्ण राज्य में है ॥ यह वि0 वि0 संस्कृत शिक्षा का प्रसार अध्ययन-अध्यापन एवं शोध कार्यों से संबंधित हैं । अन्य विश्वविद्यालयों का प्रक्षेत्र राज्य के एक सीमित क्षेत्र तक ही हैं ।

राज्य सरकार द्वारा इन सात विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त नालन्दा (बिहार शरीफ) में एक खुला विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई है ॥ यह विश्वविद्यालय इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय के मार्ग दर्शन पर कार्य करेगा तथा इसका प्रक्षेत्र सम्पूर्ण राज्य में होगा ॥ नये कुलपति के रूप में डा0 कुमार बिमल की नियुक्ति मार्च 1987 में की जा चुकी है ॥

9. 2. राज्य में अंगीभूत महाविद्यालयों की कुल संख्या-302 की है । इन महाविद्यालयों का सम्पूर्ण वित्तीय दायित्व राज्य सरकार वहन करती हैं ।

9. 3. संबंधन प्राप्त महाविद्यालयों की कुल संख्या 271 है तथा इसके अतिरिक्त 66 संस्कृत महाविद्यालय सम्बन्धन प्राप्त है है इस प्रकार कुल सम्बन्धन प्राप्त महाविद्यालयों की संख्या 337 है । इनमें से कुछ महाविद्यालययों को घाटानुदान की पूर्त्ति राज्य सरकार करती है तथा शेष का सम्पूर्ण वित्तीय दायित्व उनके शासी निकायों पर हैं ।

9. 4. विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभागों एवं डिग्री महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की कुल संख्या-18500 हैं जिनमें से पुरुषों की संख्या-15,300) और महिलाओं की संख्या-3,200 की है ॥ छात्रों की कुल संख्या-6,00,000 हैं ।

9. 5. राज्य सरकार द्वारा उच्चत्तर शिक्षा संबंधी सुविधाओं के विकेन्द्रित करने, उन्हें स्थानीय रूप में सुलभ कराकर,र, शिक्षा में गुणात्मक विकास लाने तथा अध्यापन कार्य को नियमित रूप में सम्पादित करने के नीतिमूलक निर्णय लिया गया है तथा जिला स्तर पर अवस्थित महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर अध्ययन की व्यवस्था पूर्व में ही की जा चुकी है । इसके अतिरिक्त 1986–87 में पाँच अन्य महाविद्यालयों में भी स्नातकोत्तर शिक्षा की व्यवस्था की गई हैं । 11987–88 में निम्नांकित महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर शिक्षा की अतिरिक्त व्यवस्था की गई हैं :—

(1) मुंशी सिंह कॉलेज्ज, मोतीहारी ।
(2) रामदयालू सिंह कॉलिज, मुजफ्फरपुर ।
(3) सहरसा कालेज, सहरसा ।
(4) एस0 आर0 के0 गोयनका कॉलेज, सीतामढ़ी ॥
(5) पूर्णिया कॉलेज, पूर्णिया ।
(6) सुन्दरवती महिला महाविद्यालय, भागलपुर ।
(7) श्री कृष्ण रामरूमि महाविद्यालय, बरबीघा ।

(8) राँची ओमेन्स कॉलेज।
(9) बेबी कॉलेज, बेरमों।

9. 6. शिक्षण सत्रों को नियमित करने, परीक्षाओं को कालवद्ध करने, अनुशासन हीनता पर नियंत्रण रखने एवं शैक्षणिक कार्यक्रमों को नियमित एवं सुव्यवस्थित करने का दिशा निदेश विश्वविद्यालयों को दिया गया है तथा एतद् संबंधी कतिपय अध्यादेश निर्गत किये गये हैं।

9. 7. विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के पदाधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों आदि के वेतन भुगतान एवं अन्य अनिवार्य आवर्तक राशि स्वीकृत की गयी :—

| विश्वविद्यालय का नाम | सामान्य आवर्तक अनुदान | परिनियत अनुदान | कुल योग |
|---|---|---|---|
| 1. पटना वि0 वि0 | 44,500,000 | 1,61,00000 | 6,06,00,000 |
| 2. बिहार वि0 वि0 | 12,48,50,000 | 60,50,000 | 13,09,00,000 |
| 3. राँची वि0 वि0 | 12,24,57,500 | 21,42,411 | 12,45,99,911 |
| 4. मगध वि0 वि0 | 12,02,90,000 | 27,10,000 | 12,30,00,000 |
| 5. भागलपुर वि0 वि0 | 11,31,97,300 | 19,02,670 | 11,50,99,970 |
| 6. ल0 ना0 मि0 वि0 वि0 | 14,51,99,998 | 30,00,000 | 14,81,99,998 |
| 7. का0 सिंह सं0 वि0 वि0 | 45,30,0000 | 10,00,000 | 4,63,00,000 |
| | 71,57,94,798 | 3,29,05,081 | 74,86,99,879 |

यह राशि पूर्व में मात्र 54.00 करोड़ रुपये की थी। 20.00 करोड़ रुपये की वृद्धि स्वीकृत कराई गई ताकि विश्वविद्यालयों की वित्तीय संकट दूर हो।

9. 8. इसके अतिरिक्त सप्तम पंचवर्षीय योजनान्तर्गत विश्वविद्यालयों के प्रांगण विकास स्नातकोत्तर शिक्षा एवं महाविद्यालयों एवं अन्य विशिष्ट संस्थानों में विकास कार्यों हेतु छात्रावास का निर्माण की कक्षा विस्तार उपस्कर, उपकरण एवं पुस्तक आदि के लिए कुल 4,95,22,000 की स्वीकृति दी गयी हैं।

9. 9. विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के भवनों का रख-रखाव राशि के अभाव में संभव नहीं था तथा लगभग सभी भवनों का जीर्णोद्धार, मरम्मति, लघु मरम्मति आदि आवश्यक था। इस कमी को पूर्त्ति करने की दृष्टि से 1986–87 में बजट भाषण के दौरान यह घोषणा की गयी थी कि कुल पाँच करोड़ की एक निधि कायम की जायगी जिसके सूद से प्राप्त राशि का उपयोग भवनों की मरम्मति, जीर्णोद्धार आदि पर किया जायगा। इस घोषणा के क्रम में राज्य सरकार द्वारा कुल पाँच करोड़ की राशि स्वीकृत की गयी तथा उसे बैंक के रिइंभेस्टमेंट प्लान में जम कराया गया हैं।

9 9. 10. राज्य सरकार द्वारा यु0जी0सी0 पैटर्न पर विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों के शिक्षकों को अंतरीम सहायता एवं तदर्थ मंहगाई भत्ता की स्वीकृति दी गई हैं तथा उनकी सेवा निवृत्त उम्र को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष का किया गया है।

9 9. 11. शिक्षकों को राज्य सेवकों के समकक्ष नगर क्षतिपूर्ति भत्ता, आवासीय किराया, चिकित्सा शुल्क की प्रतिपूर्ति, टाइम बाउंड प्रोन्नति आदि को सुविधाएँ भी प्रदान की गयी हैं।

9 9. 12. राज्य के विभिन्न महाविद्यालयों के विकास के लिये मुख्य मंत्री महोदय तथा शिक्षा महोदय के आश्वासनों के अनुसार 1.20 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्लान उद्व्यय की राशि विकास अनुदान के रूप में स्वीकृत कराई गई।

9 9. 13. बाल भवन योजना (पटना गोलघर के समीप) के लिये 20.00 लाख रुपये बिहार राज्य शिशु कल्याण परिषद् (अध्यक्ष बिहार के राज्यपाल हैं) को स्वीकृत किये गये।

9 9. 14. एल0 एन0 मिश्र इन्स्टीच्यूट ऑफ इकनॉमिक डेवलपमेंट एण्ड सोसल चेंज पटना को 10.00 लाख रुपये का अनुदान दिया गया। अतिरिक्त विकास अनुदान के प्रस्ताव निकट भविष्य में स्वीकृत होने की संभावना हैं। इसे पूर्णरूप से विकसित करने की स्कीम बना ली गई है।

9.15. पटना वीमेंस कॉलेज तथा पटना साइंस कालेज को क्रमशः 39.00 लाख तथा 58.00 लाख रुपये के विकास अनुदान दिए गये हैं।

9.16. विश्वविद्यालय शिक्षक महासंघों की मांगों को लेकर जुलाई 86 में चलाते गये हड़ताल को मात्र 15 दिनों के अन्दर समझौता द्वारा समाप्त करा दिया गया। इस समझौता का अनुमोदन मंत्रीमंडल द्वारा इसबार सर्वप्रथम कराया गया था। फलस्वरूप शिक्षकों को मिलनेवाली सुविधायें काफी अधिक बढ़ गई। पुरानी मांगों की भी पूर्ति हो गई। तब से विश्वविद्यालयों में सामान्यतः सन्तोष एवं शान्ति का वातावरण आया है।

शिक्षक संघ सरकार से संचरात्मक सहयोग करता रहा है। अब हर बिन्दु पर पूर्व के तरह विरोधात्मक रवैया काफी हद तक घट गया है। संघ की ओर से शिक्षक समुदाय को कर्त्तव्य सम्पादन प्रति पर्याप्त ध्यान देने की बात भी कही जा रही हैं, जो एक स्वस्थ परम्परा का निर्माण समझा जायेगा। अभी भी शिक्षकों में छात्र-छात्राओं के शैक्षणिक हित एवं भविष्य के लिये बहुत अधिक जागरूकता तथा प्रयास की आवश्यकता है।

9.17. राष्ट्रीय शिक्षा नीति से सम्बन्धित कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वियन के लिये विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विचार गोष्ठियाँ आयोजित कराई गई है।

**शोध संस्थान**

9.18. बिहार राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में शोध कार्य सम्पन्न कराने के उद्देश्य से निम्नांकित शोध संस्थानों की स्थापना की गयी हैं :—

(1) अनुग्रह नारायण सिंह इन्स्टीच्यूट ऑफ सोशल स्टडीज, पटना।
(2) नव नालन्दा महाविहार, नालन्दा।
(3) पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीच्यूट ऑफ प्राकृत एंड जेनलौजी, वैशाली।
(4) के0 पी0 जायसवाल इन्स्टीच्यूट, पटना।
(5) बिहार राज्य भाषा पर्षद्, पटना।
(6) मिथिला संस्कृत शोध संस्थान, दरभंगा।
(7) पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीच्यूट ऑफ अरबिक एवं पर्सियन, पटना।
(8) ग्रामीण प्रतिष्ठान, बिरौली।
(9) जगजीवन राम संसदीय संस्थान, पटना।
(10) ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान, पटना।

9.19. उपर्युक्त संस्थानों में कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मचारियों, आदि की वेतन भुगतान एवं अन्य आवर्तक व्यय के लिए कुल 80,29,325 रु0 गैर योजना मद से 1986–87 में स्वीकृत किये गये।

9.20. राज्य सरकार द्वारा गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों का अधिग्रहण करने के निमित एक अध्यादेश जारी किया गया तथा उसके तहत ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक पवितर्न संस्थान पटना एवं जगजीवन राम संसदीय संस्थान, पटना का नियंत्रण शासन के अधीन किया गया।

9.21. **अकादमिया :**—लोक भाषा एवं साहित्य के विकास हेतु इस क्षेत्र में मौलिक शोध और प्रकाशन को प्रोत्साहित करने की राज्य सरकार का प्रयास जारी है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु तत्काल इस समय निम्नांकित अकादमिय स्थापित हैं :—

(1) उर्दू अकादमी, पटना।
(2) मैथिली अकादमी, पटना।
(3) भोजपुरी अकादमी, पटना।
(4) मगही अकादमी, पटना।
(5) बंगला अकादमी, पटना।
(6) जनजातीय भाषा अकादमी, राँची।
(7) संस्कृत अकादमी, पटना।

9.22. इन अकादमियों में कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मचारियों आदि के वेतनादि एवं अन्य अवर्तक व्यय हेतु गैर योजनान्तर्गत कुल 13,39,000 का अनुदान स्वीकृत किया गया।

9.23. पंचवर्षीय योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में प्रकाशन, छपाई, सेमिनार आदि हेतु राज्य के शोध संस्थानों को कुल 14.47 लाख रु0 और भाषा अकादमियों को कुल 12.50 लाख स्वीकृत किए गए।

9.24. उक्त अकादमियों के अतिरिक्त राज्य में विश्वविद्यालयों स्तरीय पाठ्य पुस्तकों एवं सन्दर्भ ग्रन्थों को हिन्दी में उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र के सहयोग से एक हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भी स्थापित है, जिसे गैर योजना मद से स्थापना व्यय हेतु कुल रु0 3.80 लाख की स्वीकृति दी गई।

अध्याय 10

# छात्रवृत्तियाँ

**छात्रवृतियाँ :—**

10. 1 राज्य सरकार के साथ साथ केन्द्र सरकार की यह स्पाष्ट नीति रही है कि प्राथमिक स्तर से विश्वविद्यालय स्तर तक अध्ययनरत मेधावी एवं निर्धन छात्रों को प्रोत्साहन देने के लिये छात्रवृत्ति के रूप में आर्थिक सहायता दी जाय। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये कुल छात्रवृत्तियाँ राज्य सरकार द्वारा पूर्ण रूप से और कुछ छात्रवृत्तियाँ केन्द्र सरकार से आंशिक सहाय्य अनुदान प्राप्त कर छात्र-छात्राओं को दी जाती है।

राज्य सरकार द्वारा दी जानेवाली छात्रवृत्तियों को 1980–81 से द्विगुणित कर दी गयी है और 1981–82 से छात्रवृत्ति की राशि को दर में भी 20 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गयी है।

10. 2 केन्द्र सरकार द्वारा मेधावी और निर्धन छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियाँ निम्न प्रकार से है :—

**(क) राष्ट्रीय मेधाविता छात्रवृत्ति :—**

यह छात्रवृत्ति योजना राज्य में 1961–62 से लागू है। इस योजना के अन्तर्गत माध्यमिकोत्तर से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक तथा टेकनिकलचर्या के छात्र-छात्राओं की प्रतिमाह प्रति छात्र 60 से लेकर 170 रुपये तक की दर छात्रवृत्ति दी जाती है। अष्टम वित्तीय आयोग की अनुशंसा के अनुसार 1985–86 से राज्य सरकार को 1,41,49,100/– रु0 का व्यय वहन करना है। बाकी व्यय की राशि केन्द्र सरकार के द्वारा वहन की जायेगी। इस योजना की स्वीकृति 1982–83 से 1984–85 तक 3 करोड़ 71 लाख 65 हजार छः सौ (3,71,65,600) रुपये की लागत से वित्तीय वर्ष 1986–87 में स्वीकृत कर दी गई है।

**(ख) राष्ट्रीय शिक्षक संतान-छात्रवृत्ति :—**

यह केन्द्रचालित योजना है। इस योजना के अन्तर्गत प्रस्वीकृत प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के बच्चों को माध्यमिक परीक्षा के आधार पर स्नातकोत्तर स्तर एवं टेकनिकल स्तर तक प्रति छात्र-प्रति माह 50/– रु0 से लेकर 125/– रु0 की दर से छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

इससे लाभान्वित होनेवाले छात्र-छात्राओं के अभिभावकों की वार्षिक आय 6,000/– रु0 से कम होने की शर्त्त निर्धारित है। इस योजना का संपूर्ण व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इस मद में 14,94,000/– रु0 वर्ष 1982–83 से 1986–87 तक की छात्रवृत्ति देने के लिये वित्तीय वर्ष 1986–87 में स्वीकृत कर दी गयी है।

**(ग) राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति :—**

यह एक केन्द्र चालित योजना है, जो वर्ष 1963–64 से लागू है। इस योजना के अन्तर्गत मेधावी एवं गरीब छात्रों को ऋण के रूप में छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है, जिसकी वसूली छात्रों की पढ़ाई समाप्त होने के उपरांत सुविधाजनक किश्तों में की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में पढ़नेवाले 915 छात्रों को 7,18,750/– रु0 की लागत से ऋण छात्रवृत्ति 1986–87 वर्ष के दौरान स्वीकृत की गयी है।

**(घ) माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय ग्रामीण छात्रवृत्ति :—**

बिहार राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभा संपन्न छात्र-छात्राओं को माध्यमिक स्तर तक लाभान्विता करने के उद्देश्य से यह योजना वर्ष 1971–72 से लागू है। प्रत्येक सामुदायिक विकास प्रखण्ड में 4–44 छात्रों को राज्य प्रतिभा छात्रवृत्ति प्रतिमाह प्रति छात्र 120/– रु0 की दर से सबा चार वर्षों के लिये दी जाती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक सामुदायिक विकास प्रखण्ड में 7 (सात) छात्रों को, जिसमें अनुसूचित और

सामान्य कोटि के छात्र-छात्राएँ शामिल हैं को प्रतिमाह 100/– रु0 की दर से प्रतिवर्ष 10 माह के लिये छात्रवृत्ति 7वें वर्ग से माध्यमिक स्तर तक स्वीकृत की जाती है। इसके अतिरिक्त जनजाति प्रखण्ड में 3 अतिरिक्त छात्रवृत्तियाँ अनुसूचित जन-जाति के छात्रों को दी जाती है। इस योजना से राज्य के 6,600 छात्र-छात्राएँ लाभान्वित होते हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत अष्टम वित्तीय आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार को 1985–86 वर्ष से 1,08,97,625/– रु0 (एक करोड़ आठ लाख सनतानवे हजार छः सौ चीस) का व्यय वहन करना पड़ रहा है। राज्य प्रतिभा छात्रवृत्ति के मद में 27,59,310/– रु0 (सताईस लाख उनसठ हजार तीन सौ दस) की स्वीकृति 1986–87 वर्ष के दौरान दी गयी है।

10.0.33 **राज्य सरकार द्वारा संचालित छात्र-वृत्ति :—**

राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित छात्रवृत्तियाँ स्वीकृत की जाती हैं :—

**(क) विश्वविद्यालय स्तर पर :—**

1. पोस्ट मैट्रिक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर विशेष राज्य मेधाविता छात्रवृत्ति।
2. राज्य शिक्षक संतान छात्रवृत्ति।
3. स्नातकोत्तर स्तर पर राज्य मेधाविता छात्रवृत्ति।
4. राज्य मेधाविता छात्रवृत्ति।
5. मेधा-सह-निर्धनता छात्रवृत्ति।
6. विज्ञान पढ़नेवाली छात्राओं को विशेष मेधाविता छात्रवृत्ति।
7. राज्य के बाहर पढ़नेवाले छात्रों को छात्रवृत्ति।
8. जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में अध्ययनरत बिहारी छात्रों को छात्रवृत्ति।

केन्द्र सरकार द्वारा दी जानेवाली राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा मेधावी छात्र-छात्राओं को विशेष राज्य मेधाविता छात्रवृत्ति प्रतिमाह प्रति छात्र 60/– रु0 से लेकर 150/– रु0 तक माध्यमिकेत्तर स्तर पर एवं स्नातकोत्तर स्तर पर दी जाती है। इस छात्रवृत्ति के लिये छात्र-छात्राओं के अभिभावकों की आय सीमा निर्धारित नहीं है। यह योजना राज्य सरकार द्वारा 1981–82 से चलाये जा रही है और इसका संपूर्ण व्यय वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इस मद में राज्य सरकार ने 1983–84 से 1986–87 तक के लिये 3,50,96,500/– रु0 (तीन करोड़ पचास लाख छियानवे हजार पांच सौ) की राशि की 1986–87 वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृति दी है।

**राज्य शिक्षक संतान छात्रवृत्ति :—**

राष्ट्रीय शिक्षक संतान छात्रवृत्ति योजना के अनुरूप यह योजना राज्य सरकार द्वारा 1980–81 से लागू है। इसके अन्तर्गत प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के बच्चों को प्रतिमाह 60/– रु0 से 150/– रु0 तक की छात्रवृत्ति दी जाती है। इस मद में राज्य सरकार ने 1983–84 से 1986–87 तक के लिये 9,85,100/– (नौ लाख पचासी हजार एक सौ) रुपये की राशि वित्तीय वर्ष 1986–87 के दौरान स्वीकृत की है।

**स्नातकोत्तर स्तर पर राज्य मेधाविता छात्रवृत्ति :—**

इस योजना के अन्तर्गत स्नातक प्रतिष्ठा परीक्षा के आधार पर प्रत्येक विषय में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण दो छात्र तथा छात्रा को प्रतिवर्ष 120/– रु0 प्रतिमाह से लेकर 150/– रु0 प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। राज्य सरकार ने 1983–84 से 1986–87 तक के लिये 33,28,000/– रु0 (तेतीस लाख अठाईस हजार) की राशि 1986–87 वित्तीय वर्ष में स्वीकृत की है।

**राज्य मेधाविता छात्रवृत्ति :—**

इस योजना के अन्तर्गत माध्यमिक परीक्षा, इंटर परीक्षा के आधार पर छात्र-छात्राओं को मेधा क्रम से प्रतिमाह प्रति छात्र 60/– रु0 से 72/– रु0 तक छात्रवृत्ति एवं स्नातकोत्तर स्तर पर तथा टेकनिकलचर्या में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को 120/– रु0 प्रतिमाह प्रति छात्र की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है। इसमें छात्र-छात्राओं

के अभिभावकों की आर्थिक सीमा निर्धारित नहीं है। इस मद में 1986–87 में 2,81,500/– रु० की स्वीकृति दी गयी है।

**मेधा-सह-निर्धनता छात्रवृत्ति :—**

माध्यमिकेत्तर स्तर से स्नातकोत्तर स्तर तक के ऐसे छात्र-छात्राओं की 60/– रु० प्रतिमाह प्रति छात्र की दर से यह छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। यह छात्रवृत्ति ऐसे छात्र-छात्राओं को दी जाती है, जिनके माता-पिता-अभिभावक की वार्षिक आय छात्र के मामले में 8,000/– रु० तथा छात्राओं के मामले में 10,000/– रु० तक होती है।

**विज्ञान पढ़नेवाली छात्राओं को विशेष राज्य मेधाविता छात्रवृत्ति :—**

यह छात्रवृत्ति माध्यमिक परीक्षा के आधार पर 50 छात्राओं को 60/– रु० प्रतिमाह की दर से ऐसी छात्राओं की दी जाती है, जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 10,000/– रु० से कम हो।

**राज्य के बाहर पढ़नेवाले छात्रों की छात्रवृत्ति :—**

इस योजना के अन्तर्गत माध्यमिक परीक्षा के आधार पर राज्य के बाहर पढ़नेवाले 50 छात्रों की प्रतिमाह 60/– रु० की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है जिनके अभिभावक की वार्षिक आय छात्रों के मामले में, 8,000/– रु० तथा छात्राओं के मामले में 10,000/– रु० से अधिक न हो।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़नेवाले बिहारी छात्र को पी० एच० डी० एवं एम० फिल० करने के लिये 300/– रु० प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है तथा एक छात्र को एक मुश्त में 3,000/– रु० आकस्मिक व्यय के रूप में स्वीकृत की जाती है।

**(ब) माध्यमिक स्तर पर निम्नांकित छात्रवृत्तियाँ दी जाती है :—**

1. **राज्य प्रतिभा छात्रवृत्ति :—**

यह छात्रवृत्ति शहरी क्षेत्रों के प्रतिभा संपन्न छात्र-छात्राओं को माध्यमिक स्तर तक दी जाती है। छात्रवृत्ति के लिये प्रतिवर्ष प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर छात्रों का चयन किया जाता है। राज्य प्रतिभा छात्रवृत्ति पाने वाले छात्र को छात्रावास में रहकर पढ़ने पर 1200/– रु० प्रतिवर्ष तथा राष्ट्रीय ग्रामीण छात्रवृत्ति पाने वाले छात्र को छात्रावास में रहकर पढ़ने पर 1000/– रु० प्रतिवर्ष मिलता है।

2. **मेधा-सह-निर्धनता छात्रवृत्ति :—**

यह छात्रवृत्ति वर्ग-8 से लेकर वर्ग-10 तक के लिये छात्र-छात्रा को 18/– रु० प्रतिमाह प्रति छात्र की दर से दी जाती है।

**(स) प्राथमिक स्तर की छात्रवृत्तियाँ :—**

1. **उच्च प्राथमिक छात्रवृत्ति :—**

यह छात्रवृत्ति मध्य विद्यालय में पढ़नेवाले छात्र-छात्राओं को प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर 18/– रु० प्रतिमाह प्रति छात्र की दर से दी जाती है।

2. **मेधा-सह-निर्धनता छात्रवृत्ति :—**

इस योजना के अन्तर्गत वर्ग-6-7 के छात्र-छात्राओं की मेधाविता क्रम से 12/– रु० प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है।

3. **संस्कृत पढ़नेवाले छात्रों को छात्रवृत्ति** :—

इस योजना के अन्तर्गत माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत पढ़नेवाले छात्रों को 12/– रु0 प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है। इसी प्रकार राज्य के संस्कृत उच्च विद्यालयों एवं संस्कृत महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को 12/– रु0 प्रतिमाह से लेकर 24/– रु0 प्रतिमाह तक छात्रवृत्ति दी जाती है।

**(घ) सामान्य छात्रवृत्तियाँ** :—

1. **राजनीति पीड़ितों के बच्चों की छात्रवृत्ति** :—

इस योजना के अन्तर्गत राजनीति पीड़ित व्यक्तियों के बच्चों को प्राथमिक स्तर से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक प्रतिमाह प्रति छात्र 12/- रु0 से 48/- रु0 तक छात्रवृत्ति दी जाती है।

अरबी, फारसी संस्थान में पढ़नेवाले छात्रों को मेधा-सह-निर्धनता छात्रवृत्ति 18/- रु0 प्रतिमाह से लेकर 48/- रु0 तक प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती है।

मृत सरकारी सेवकों के बच्चों को विशेष अनुग्रह छात्रवृत्ति अधिकतम तीन बच्चों को माध्यमिक स्तर तक 30/- रु0 तथा विश्वविद्यालय स्तर तक 50/- रु0 की दर से 21 वर्ष की आयु तक छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

10.4 **विश्वविद्यालय स्तर की 1986-87 में स्वीकृत छात्रवृत्तियाँ** :—

| क्रमांक | छात्रवृत्ति योजना का नाम | स्वीकृत राशि | अवधि |
|---|---|---|---|
| 1. | राज्य मेधा तथा मेधा-सह-निर्धनता छात्रवृत्ति | 1,18,80,000/- | 1984–85 से 1986–87 तक। |
| 2. | विज्ञान पढ़नेवाली छात्राओं को विशेष छात्रवृत्ति– | 6,20,000/- | 1982–83 के लिये। |
| 3. | राष्ट्रीय मेधा छात्रवृत्ति— | 3,71,65,600/- | 1982–83 से 1984-85तक।- |
| 4. | विशेष राज्य मेधा छात्रवृत्ति | 3,50,96,500/- | 1983–84 से 1986-87 तक। |
| 5. | राज्य शिक्षक संतान छात्रवृत्ति— | 9,85,100/- | 1983–84 से 1986-87 तक। |
| 6. | राष्ट्रीय शिक्षक संतान छात्रवृत्ति— | 14,94,000/- | 1982–83 से 1986-87 तक। |
| 7. | स्थायी योजनान्तर्गत मेधा सह-निर्धनता | 11,40,300/- | 1986–87 के लिये। |
| 8. | स्थायी योजनान्तर्गत राज्य मेधा छात्रवृत्ति— | 2,81,500/- | 1986–87 के लिये। |
| 9. | गैर जनजाति तथा जनजाति क्षेत्रों में स्नातकोत्तर स्तर पर राज्य मेधा छात्रवृत्ति— | 33,28,000/- | 1983–84 से 1986-87 तक। |
| 10. | महाविद्यालयों में अध्ययनरत–993 छात्र-छात्राओं को अतिरिक्त मेधा सह-निर्धनता छात्रवृत्ति— | 23,98,800/- | 1983–84 से 1986-87 तक। |
| 11. | जे0 एन0 यू0 में बिहारी छात्रों को छात्रवृत्ति— | 20,260/- | 1986–87 |
| 12. | मैट्रिक परीक्षा के आधार पर–3250 इंटर तथा स्नातक स्तर के छात्र/छात्राओं को मेधा-सह-निर्धनता छात्रवृत्ति | 2,02,75,760/- | 1983–84 से 1986-87 तक। |

10. 5 **माध्यमिक स्तर की छात्रवृत्तियाँ** :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | राज्य प्रतिभा छात्रवृत्ति— | 27,59,310/- | 1983–84 |
| 2. | माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत पढ़नेवाले छात्रों को छात्रवृत्ति— | 28,800/- | 1986–87 |

10. 6 उपर्युक्त छात्रवृत्तियों के अतिरिक्त एन0 सी0 सी0 के कैडटों को एवं एन0 डी0 ए0/आई0 एम0 ए0 दाखिला प्राप्त बिहारी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिये 1980–81 से छात्रवृत्ति दी जा रही है। प्राथमिक विद्यालय में पढ़नेवाले हरिजन/आदिवासी छात्र-छात्राओं को कल्याण विभाग द्वारा दी जानेवाली आर्थिक सहायता के अतिरिक्त उपर्युक्त छात्रवृत्तियाँ शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत की जाती है।

10.7 छात्रवृत्ति के मामले में मुख्य मंत्री महोदय एवं शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा दिया गया मार्गदर्शन सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैहै, क्योंकि उन्होंने पहली वार यह महसूस किया कि प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक, स्नातक, स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियों का जो निष्पादन अबतक संबंधित निदेशालयों द्वारा अलग-अलग किया जाता था, वह कार्य संचालन की दृष्टि से उपयोगी नहीं है। इससे विभिन्न निदेशालयों द्वारा छात्रवृत्तियों के मामले में की गयी कार्रवाईयों में एकरूपता औरर तालमेल नहीं हो पाता था। इन कारणों से मुख्य मंत्री महोदय के महत्वपूर्ण सुझाव को ध्यान में रखते हुयेये सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि अब प्राथमिक स्तर से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक की छात्रवृत्तियों का निष्पादन एक निदेशालय द्वारा किया जाये। इस उद्देश्य से छात्रवृत्ति मामलों के निदेशक, विशेष निदेशक (छात्रवृत्ति) को बनाया गया है। यह व्यवस्था पहली फरवरी, 1987 से चल रही है। इस अल्प अवधि में हीही इतना अनुभव किया जा रहा है कि छात्रवृत्ति के मामलों के निष्पादन में पर्याप्त प्रगति आयी है। साथ हीही निरीक्षण/नियंत्रण में भी सरकार को सुविधा हुई है। इस निदेशालय का सुदृढ़ीकरण एवं नियमित मोनिटरिंग औरर स्थानीय कार्यालयों की निरीक्षण-व्यवस्था विचाराधीन है।

अध्याय 11

# प्रशासनिक संगठन

11.1. 1 शिक्षा विभाग में सचिवालय स्तर के निम्नलिखित पदाधिकारी कार्यरत हैं :—

| | |
|---|---|
| आयुक्त एवं सचिव | 1 |
| विशेष सचिव | 1 (एक और पद रिक्त है) । |
| संयुक्त सचिव | 3 |
| उप सचिव | 2 |
| अवर सचिव एवं इसके समकक्ष | 4 |

इनके अतिरिक्त विभाग में सात निदेशालय कार्यरत हैं यथा :—प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, अनौपचारिक एवं वयस्क शिक्षा, शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, प्राच्य शिक्षा तथा एंगलोइन्डियन शिक्षा, प्रशिक्षण एवं शोध, उच्च शिक्षा तथा प्रशासन ।

11.1. 2 शैक्षिक नीतियों एवं कार्यक्रमों का भार निदेशालय पर है । राज्य स्तर पर निम्नांकित निदेशक हैं जो अपने क्षेत्राधिकार के संबंध में सरकार को परामर्श देते हैं :—

1. निदेशक (उच्च शिक्षा)
2. निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)-सह-संयुक्त सचिव
3. निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)-सह-संयुक्त सचिव
4. निदेशक (शोध एवं प्रशिक्षण)
5. निदेशक (वयस्क शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा)-सह-संयुक्त सचिव ।
6. विशेष निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)
7. विशेष निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
8. निदेशक (प्रशासन)-सह-संयुक्त सचिव
9. अपर शिक्षा निदेशक (मुख्यालय राँची)
10. निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, पटना ।

11.1. 3 उपर्युक्त निदेशकों को संयुक्त निदेशक, उप निदेशक एवं सहायक निदेशक कार्य सम्पादन में राज्य स्तर पर एवं मण्डलीय जिला तथा अनुमंडलीय स्तर पर निरीक्षी पदाधिकारी सहायता करते हैं ।

11.1. 4 प्रशासनिक निदेशकों एवं अन्य पदाधिकारी को शैक्षणिक एवं शोध संस्थाओं के प्रधान के रूप में नियुक्त हैं उनके पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण के लिए निदेशक (प्रशासन)-सह-संयुक्त सचिव कार्यालयप्रधान हैं । वे राज्य एवं क्षेत्र स्तर के राजपत्रित पदाधिकारियों की सेवा शर्त्तों की देख-रेख करते हैं ।

**11. 1. 5 क्षेत्रीय स्तर पर दो प्रकार के पदाधिकारी हैं :—**

**(क) पुरुष पदाधिकारी :**—जो बालक शिक्षा का नियंत्रण, निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करते हैं ।

**(ख) महिला पदाधिकारी :**—जो बालिका शिक्षा का नियंत्रण, निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करती हैं ।

**11. 1. 6 बालिका शिक्षा के लिए निरीक्षी पदाधिकारी :—**

सम्पूर्ण राज्य में बालिका शिक्षा का निरीक्षण, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण विद्यालय निरीक्षिका, बिहार द्वारा किया जाता है । इन्हें जिला विद्यालय निरीक्षिका एवं उप विद्यालय निरीक्षिका सहायता करती हैं ।

11. 7 निम्नांकित पदाधिकारी निदेशकों के अधीनस्थ प्रमंडल, जिला एवं अनुमंडल स्तर पर हैं :—

(क) प्रमंडलीयस्तर
1. क्षेत्रीय उप/संयुक्त शिक्षा निदेशक 10
2. सहायक क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक 10

(ख) जिला स्तर
1. जिला शिक्षा पदाधिकारी 37
2. जिला शिक्षा अधीक्षक 39
3. जिला विद्यालय निरीक्षिका 35

(ग) अनुमंडल स्तर
1. अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी 74

11. 8 विशेष निदेशक (मा0शि0) के पद पर प्रभारी व्यवस्था की गई है।

11. 9 अपर निदेशक (मुख्यालय राँची) के पद पर नियमित प्रोन्नति हेतु अधियाचना आयोग को भेजी गई है।

11.10 सुपर टाइम स्केल (1900–2500) में 24 पदों पर बिहार शिक्षा सेवा वर्ग-1 के वरीय पदाधिकारी की नियमित प्रोन्नति देने हेतु आयोग में विभागीय प्रोन्नति की बैठक में विचारोपरान्त 30 पदाधिकारियों की अनुशंसा आयोग से प्राप्त हुई और विभागीय अधिसूचना संख्या–468, दिनांक 17 जुलाई, 1986 द्वारा नियमित प्रोन्नति दी गई।

11.11 बिहार शिक्षा सेवा वर्ग-1 के वरीय प्रवर कोटि वेतनमान् 1575–2300 के पद पर बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा प्राप्त कर विभागीय अधिसूचना संख्या–809, दिनांक 4 दिसम्बर 1986 द्वारा 26 पदाधिकारियों को नियमित प्रोन्नति दी गई है।

11.12 बिहार शिक्षा सेवा वर्ग-1 के कनीय प्रवर कोटि (वेतनमान् 1350–2000) के पद पर नियमित प्रोन्नति देने हेतु नियमानुसार कार्रवाई कर अनुशंसा भी प्राप्त की गई है।

11.13 सप्तम् पंचवर्षीय योजनाकाल के वित्तीय वर्ष 1986–87 में निम्नांकित कार्यालयों के लिए सृजित पदों की अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई है :—

1. क्षेत्रीय उप/संयुक्त निदेशक, संथालपरगना प्रमंडल, दुमका
2. जिला शिक्षा पदाधिकारी, साहेबगंज/गुमला (जन-जाति क्षेत्र) देवघर एवं गोड्डा (गैर जन-जाति क्षेत्र)
3. जिला शिक्षा अधीक्षक, लोहरदगा (जन-जाति क्षेत्र) देवघर एवं गोड्डा (गैर जन-जाति क्षेत्र)
4. जिला विद्यालय निरीक्षिका, साहेबगंज एवं गुमला (जन-जाति क्षेत्र)
5. अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी, शिवहर, रामगढ़, उदाकिशनगंज एवं शेखपुरा।

इन कार्यालयों के लिए सृजित पदों के अवधि विस्तार पर वित्तीय वर्ष 1986–87 में कुल 22.72 लाख रुपये स्वीकृत किए गये हैं।

## अन्य कार्य

11.14 31वीं प्रतियोगिता संयुक्त परीक्षा के आधार पर 10 अभ्यार्थियों के नाम की अनुशंसा प्राप्त हुई जिसमें 5 अभ्यार्थियों की नियुक्ति 1985-86 तथा शेष 4 अभ्यार्थियों की नियुक्ति 1986–87 वर्ष में की गयी है।

11.15 नेतरहाट आवासीय विद्यालय में 1986–87 वर्ष में बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आधार पर सह-शिक्षकों के 3 पदों (वेतनमान् 1000–1820) पर नियुक्ति की गई है : जिसमें ये सभी सह-शिक्षक विद्यालय में योगदान किए हैं।

11.16 नेतरहाट आवासीय विद्यालय में प्राचार्य के पद पर बिहार शिक्षा सेवा वर्ग के पदाधिकारियों को विभागीय अधिसूचना संख्या–692, दिनांक 17–10–86 द्वारा पदस्थापित किया गया है।

111.17 नेतरहाट आवासीय विद्यालय के 3 सह शिक्षकों को 1986–87 वर्ष में बिहार शिक्षा सेवा वर्ग-1 कीय प्रवर कोटि (वेतनमान् 1350–2000) के पदाधिकारी (गैर सम्वर्गीय) पद पर नियमित प्रोन्नति दी गई हैं।

111.18 नेतरहाट आवासीय विद्यालय के 18 सह शिक्षकों को 1986–87 वर्ष में विभागीय अधिसूचना संख्या–804, दिनांक 3–12–86 द्वारा कनीय प्रवर कोटि के पद (वेतनमान् 1350–2000) पर कालबद्ध प्रोन्नति दी गई हैं।

111.19 बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आधार पर इन्दिरा गाँधी बालिका विद्यालय हजारीबाग में अधिसूचना संख्या–526, 527, 528 एवं 529, दिनांक 7–8–86 द्वारा 4 अभ्यार्थियों को सह अध्यापिका के पद प. नियुक्ति की गई है।

111.20 बिहार शिक्षा सेवा वर्ग-1 और बिहार शिक्षा सेवा वर्ग-2 भर्त्ती नियमावली के नियम-4 के उप नियम (4) के परन्तुक के स्थान पर अपेक्षित संशोधन विभागीय अधिसूचना संख्या–704, दिनांक 22–10–1986 द्वारा किया गया है।

111.21 माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में बिहार शिक्षा सेवा वर्ग-2 की वरीयता सूची विभागीय पत्रांक 104, दिनांक 11 मार्च, 1987 द्वारा परिचारित किया गया है।

111.22 माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में बिहार शिक्षा सेवा वर्ग-1 की औपबन्धिक वरीयता सूची पत्रांक 65, दिनांक 25–2–87 द्वारा परिचारित किया गया है।

---

# परिशिष्ट–1

## शिक्षा आयुक्तों की सूची

| क्रमांक | नाम | कार्यावधि | |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री नागेश्वर प्रसाद सिंह, भा0 प्र0 से0 | 26–11–69 से 22–6–70 तक। | 7 |
| 2. | श्री एन0 डी0 जे0 राव, भा0 प्र0 से0 | 22 जून, 70 से मार्च 1973 तक। | 33 |
| 3. | श्री रामानन्द सिन्हा, भा0 प्र0 से0 | मार्च 1973 से मार्च 1974 तक। | 12 |
| 4. | श्री कामता प्रसाद सिन्हा, भा0 प्र0 से0 | मार्च 1974 से 10–8–76 तक। | 29 |
| 5. | श्री आर0 श्रीनिवासन, भा0 प्र0 से0 | 10–8–76 से 31–7–77 तक। | 11 |
| 6. | श्री एस0 के0 श्रीवास्तव, भा0 प्र0 से0 | 1–8–77 से 20–3–80 तक। | 31 |
| 7. | श्री के0 एन0 अर्द्धनारीश्वरन्, भा0 प्र0 से0 | 22–3–80 से 11–2–82 तक। | 23 |
| 8. | श्री सी0 आर0 बैद्यनाथन, भा0 प्र0 से0 | 11–2–82 से 18–3–82 तक। | 1 |
| 9. | श्री वसंत कुमार दूबे, भा0 प्र0 से0 | 18–3–82 से 30–4–83 तक। | 13 |
| 10. | श्री जी0 आर0 पटवर्द्धन, भा0 प्र0 से0 | 3–5–83 से 1–1–1984 तक। | 7 |
| 11. | श्री अरुण पाठक, भा0 प्र0 से0 | 2–1–84 से 14–4–85 तक। | 15 |
| 12. | श्री जी0 आर0 पटवर्द्धन, भा0 प्र0 से0 | 15–4–85 से 30–11–85 तक। | 7 |
| 13. | श्री आर0 एन0 दाश, भा0 प्र0 से0 | 2–12–85 से 2–7–86 तक। | 7 |
| 14. | श्री भास्कर बैनर्जी, भा0 प्र0 से0 | 2–7–86 से अब तक कार्यरत हैं। | |

# परिशिष्ट–2

## वर्ष 1986–87 में कार्यरत बरीय पदाधिकारियों की सूची

| | | |
|---|---|---|
| 1. | सचिव | श्री आर0 एन दाश (1–7–86 तक)<br>श्री भास्कर बैनर्जी 2–7–86 से कार्यरत हैं। |
| 2. | विशेष सचिव | श्री शकील अहमद 19–9–86 तक (स्थानान्तरित)<br>श्री आर0 जयमोहन पिल्लै। |
| 3. | संयुक्त सचिव | श्री अवनी कान्त दूबे,<br>श्री सदानन्द सिन्हा (स्थानान्तरित) |
| 4. | निदेशक (माध्यमिक)-सह-संयुक्त सचिव | डॉ0 एम0 पी0 शुक्ल। |
| 5. | निदेशक (प्रा0 शि0)-सह-संयुक्त सचिव | श्री बैद्यनाथ चौधरी। |
| 6. | निदेशक (प्र0)-सह-संयुक्त सचिव | श्री जवाहर राम। |
| 7. | उप सचिव | श्री राम शंकर प्रसाद<br>श्री शिवमुनी वर्मा |
| 8. | निदेशक (उच्च शिक्षा) | डॉ0 पी0 एन0 ओझा। |
| 9. | निदेशक (शोध एवं प्रशिक्षण) | श्री गिलबर्ट टिग्गा। |
| 10. | निदेशक (अनौपचारिक एवं वयस्क शिक्षा) | श्री यू0 डी0 चौबे। |
| 11. | निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् | डॉ0 धीरेन्द्र प्रसाद। |
| 12. | विशेष निदेशक (मा0 शि0) | श्री प्रमोदकन बिहारी सिंह (31–1–87 को सेवानिवृत्त)<br>डॉ0 नागेन्द्र प्रसाद कार्यरत हैं। |

# परिशिष्ट–3

## ANNUAL PLAN—1986-87

| Sl. No. | Sector/Sub Sector. | Revised Outlay 86–87 | | | | Amount sanctioned | | | | Expenditure | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Other Area | Tribal | Total | SCA | Other Area | Tribal | Total | SCA | Other Area | Tribal | Total | S.C.A. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | **GENERAL EDUCATION** | | | | | | | | | | | | |
| A. | Elementary Edn. | 1811.43 | 1290.32 | 3101.75 | 195.00 | 1742.13 | 1268.14 | 3010.27 | 195.00 | 1715.49 | 1162.67 | 2878.16 | 195.00 |
| B. | Secondary Edn. | 865.94 | 316.18 | 1182.12 | – | 865.94 | 316.18 | 1182.12 | – | 830.37 | 301.08 | 1131.45 | – |
| C. | University Edn. | 455.78 | 82.99 | 538.77 | – | 455.78 | 82.99 | 538.77 | – | 455.78 | 82.99 | 538.77 | – |
| D. | Adult Education. | 602.55 | 197.45 | 800.00 | – | 602.55 | 197.45 | 800.00 | – | 600.73 | 197.45 | 798.18 | – |
| E. | Language development. | 32.86 | 3.29 | 36.15 | – | 32.86 | 3.29 | 36.15 | – | 32.86 | 3.29 | 36.15 | – |
| F. | General (Direction) Administration & Supervision. | 23.56 | 9.65 | 33.21 | – | 23.56 | 9.65 | 33.21 | – | 23.56 | 9.65 | 33.21 | – |
| | GRAND TOTAL GENERAL EDN : | 3792.12 | 1899.88 | 5692.00 | 195.00 | 3722.82 | 1877.70 | 5600.52 | 195.00 | 3658.79 | 1757.13 | 5415.92 | 195.00 |

# परिशिष्ट–4

## ANNUAL PLAN—1986-87

| Sl. No. | Sector/Sub Sector. | Revised Outlay 86-87 | | | | Amount sanctioncd | | | | Expenditure | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Other Area | Tribal | Total | SCA | Other Area | Tribal | Total | SCA | Other Area | Tribal | Total | S.C.A. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | **GENERAL EDUCATION** | | | | | | | | | | | | |
| A. | **ELEMENTARY EDN :** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Appointment of Teachers. | 227.61 | 142.87 | 370.48 | – | 227.61 | 142.87 | 370.48 | – | 227.61 | 86.24 | 313.85 | – |
| 2. | Esth. of District Resource Centres. | 3.21 | – | 3.21 | – | 3.21 | – | 3.21 | – | 3.21 | – | 3.21 | – |
| 3. | Const. Programme :— | | | | | | | | | | | | |
| | (a) School building (8th Finance Commission Award) | 651.90 | 365.40 | 1017.30 | – | 651.90 | 365.40 | 1017.30 | – | 651.90 | 316.56 | 968.46 | – |
| | (b) School buildings. | 259.00 | 82.10<br>500.00 | 341.10<br>500.00 | 115.00 | 259.00 | 82.10 | 341.10 | 115.00 | 259.00 | 82.10<br>500.00 | 341.10<br>500.00 | 115.00 |
| | (i) Repair of primary Schools. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | (ii) Repair of Middle Schools. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | (c) Lady Teachers Qrts. | 50.00 | 9.80 | 59.80 | 40.00 | 50.00 | 9.80 | 59.80 | 40.00 | 50.00 | 9.80 | 59.80 | 40.00 |
| | (d) Recreation & Toilets. | 45.00 | 6.00 | 51.00 | 10.00 | 45.00 | 6.00 | 51.00 | 10.00 | 45.00 | 6.00 | 51.00 | 10.00 |
| 4. | Supply of School Uniform. | 34.00 | 34.00 | 68.00 | 20.00 | 34.00 | 34.00 | 68.00 | 20.00 | 34.00 | 34.00 | 68.00 | 20.00 |
| 5. | Supply of furniture teachning aids & Sc. equipments, | 152.51 | 50.00 | 202.51 | 10.00 | 152.51 | 50.00 | 202.51 | 10.00 | 152.51 | 50.00 | 202.51 | 10.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Socially Useful productive Work. | 5.00 | 1.68 | 6.68 | – | 5.00 | 1.68 | 6.68 | – | 5.00 | 1.68 | 6.68 | – |
| 7. | School Broad-cast and Telecast. | 0.50 | 6.00 | 6.50 | – | 0.50 | 6.00 | 6.50 | – | 0.50 | 6.00 | 6.50 | – |
| 8. | Supply of text-books. | 56.00 | 19.00 | 75.00 | – | 56.00 | 19.00 | 75.00 | – | 56.00 | 19.00 | 75.00 | – |
| 9. | UNICEF/UNFPA assisted programme | 13.96 | 0.50 | 14.46 | – | 13.96 | 0.50 | 14.46 | – | 13.96 | 0.50 | 14.46 | – |
| 10. | Administrative support. | 53.74 | 7.40 | 61.14 | – | 53.74 | 7.40 | 61.14 | – | 27.10 | 7.40 | 34.50 | – |
| 11. | Non-formal Edn. | 236.00 | 54.98 | 290.98 | – | 167.20 | 32.80 | 200.00 | – | 167.20 | 32.80 | 200.00 | – |
| 12. | Const. of Qrts., hostel & building of Training college. | 15.41 | 4.87 | 20.28 | – | 14.91 | 4.87 | 19.78 | – | 14.91 | 4.87 | 19.78 | – |
| 13. | Enrichment of Library, furniture, Teaching aids of Training Colleges. | 1.10 | 4.02 | 5.12 | – | 1.10 | 4.02 | 5.12 | – | 1.10 | 4.02 | 5.12 | – |
| 14. | In-service Training/Orientation Programme. | 6.49 | 1.170 | 8.19 | – | 6.49 | 1.70 | 8.19 | – | 6.49 | 1.70 | 8.19 | – |
| | **Total Elementary Education :** | 1811.43 | 1290.32 | 3101.75 | 195.00 | 1742.13 | 1268.14 | 3010.27 | 195.00 | 1715.49 | 1162.67 | 2878.16 | 195.00 |
| **B.** | **SECONDARY EDUCATION :** | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Estb. of Secondary School :** | | | | | | | | | | | | |
| | (a) Spill Over Programme. | 166.23 | 110.49 | 276.72 | – | 166.23 | 110.49 | 276.72 | – | 166.23 | 110.49 | 276.72 | – |
| | (b) New Schools. | 11.75 | 2.12 | 13.87 | – | 11.75 | 2.12 | 13.87 | – | 11.75 | 2.12 | 13.87 | – |
| 2. | Appointment of addl. teachers. | 60.76 | 7.72 | 68.48 | – | 60.76 | 7.72 | 68.48 | – | 60.76 | 7.72 | 68.48 | – |
| 3. | Supply of Science equipments, furniture & teaching aids. | 37.50 | 10.10 | 47.60 | – | 37.50 | 10.10 | 47.60 | – | 37.50 | 10.10 | 47.60 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | (a) Const. programme. | 218.02 | 121.53 | 339.55 | – | 218.02 | 121.53 | 339.55 | – | 218.02 | 106.43 | 324.45 | – |
| | (b) Repair of Sec. school building. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5. | Enrichment of Library & book bank | 21.00 | 3.00 | 24.00 | – | 21.00 | 3.00 | 24.00 | – | 21.00 | 3.00 | 24.00 | – |
| 6. | Introduction of Computor Education. | 2.40 | 0.60 | 3.00 | – | 2.40 | 0.60 | 3.00 | – | 2.40 | 0.60 | 3.00 | – |
| 7. | Dev. of sainik School, Tilaiya. | 28.56 | – | 28.56 | – | 28.56 | – | 28.56 | – | 28.56 | – | 28.56 | – |
| 8. | Introduction of+2 | 226.61 | 48.46 | 275.07 | – | 226.61 | 48.46 | 275.07 | – | 199.69 | 48.46 | 248.15 | – |
| | and vocationalisation | 23.20 | 6.00 | 29.20 | – | 23.20 | 6.00 | 29.20 | – | 23.20 | 6.00 | 29.20 | – |
| 9. | Const. of Qrts., hostels & building of training colleges. | 20.00 | 5.46 | 25.46 | – | 20.00 | 5.46 | 25.46 | – | 20.00 | 5.46 | 25.46 | – |
| 10. | Enrichment of library furniture & teaching aids of training colleges. | 1.10 | 0.50 | 1.60 | – | 1.10 | 0.50 | 1.60 | – | 1.10 | 0.50 | 1.60 | – |
| 11. | In-Service Training/Orientation Progm. | 5.05 | – | 5.05 | – | 5.05 | – | 5.05 | – | 5.05 | – | 5.05 | – |
| 12. | Research & Pilot Projects. | 0.80 | 0.20 | 1.00 | – | 0.80 | 0.20 | 1.00 | – | 0.80 | 0.20 | 1.00 | – |
| 13. | Strengthening of SCERT & its enrichment | 42.96 | | 42.96 | – | 42.96 | – | 42.96 | – | 34.31 | – | 34.31 | – |
| | Total Secondary Edn :— | 865.94 | 316.18 | 1182.12 | – | 865.94 | 316.18 | 1182.12 | – | 830.37 | 301.08 | 1131.45 | – |
| **C.** | **UNIVERSITY EDUCATION :** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Development of University campus. | 19.26 | 36.00 | 55.26 | – | 19.26 | 36.00 | 55.26 | – | 19.26 | 36.00 | 55.26 | |
| 2. | Dev. of Post-Graduate Teaching. | 59.19 | 12.01 | 71.20 | – | 59.19 | 12.01 | 71.20 | – | 59.19 | 12.01 | 71.20 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Dev. of Colleges. | 364.66 | 34.98 | 399.64 | – | 364.66 | 34.98 | 399.64 | – | 364.66 | 34.98 | 399.64 | – |
| 4. | **Institute of Higher Education :** | | | | | | | | | | | | |
| | (a) K.P. Jaiswal Institute. | 1.30 | – | 1.30 | – | 1.30 | – | 1.30 | – | 1.30 | – | 1.30 | – |
| | (b) A. N. Sinha Institute, Patna. | 2.50 | – | 2.50 | – | 2.50 | – | 2.50 | – | 2.50 | – | 2.50 | – |
| | (c) Rural Institute, Birauli. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | (d) L. N. Mishra Institute. | 3.50 | – | 3.50 | – | 3.50 | – | 3.50 | – | 3.50 | – | 3.50 | – |
| | (e) Nava Nalanda Mahayihar. | 1.47 | – | 1.47 | – | 1.47 | – | 1.47 | – | 1.47 | – | 1.47 | – |
| | (f) Prakrit Research Institute, Vaishali | 1.00 | – | 1.00 | – | 1.00 | – | 1.00 | – | 1.00 | – | 1.00 | – |
| | (g) Arabik & Persian Institute. | 1.10 | – | 1.10 | – | 1.10 | – | 1.10 | – | 1.10 | – | 1.10 | – |
| | (h) Bihar Branch of Indian Institute of public Admm. | 0.50 | – | 0.50 | – | 0.50 | – | 0.50 | – | 0.50 | – | 0.50 | – |
| | (i) Bihar Research Society. | 1.00 | – | 1.00 | – | 1.00 | – | 1.00 | – | 1.00 | – | 1.00 | – |
| | (j) Bihar Puravi Parisad. | 0.30 | – | 0.30 | – | 0.30 | – | 0.30 | – | 0.30 | – | 0.30 | – |
| | **Total University Edn. :—** | 455.78 | 82.99 | 538.77 | – | 455.78 | 82.99 | 538.77 | – | 455.78 | 82.99 | 538.77 | – |
| **D.** | **ADULT EDUCATION :—** | 602.55 | 197.45 | 800.00 | – | 602.55 | 197.45 | 800.00 | – | 600.73 | 197.45 | 798.18 | – |
| **E.** | **LANGUAGE DEVELOPMENT :—** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Development of Sanskrit Education. | 9.80 | – | 9.80 | – | 9.80 | – | 9.80 | – | 9.80 | – | 9.80 | – |
| 2. | Development of Madarsa Education. | – | 0.50 | 0.50 | – | – | 0.50 | 0.50 | – | – | 0.50 | 0.50 | – |
| 3. | Maghi Academy | 2.00 | – | 2.00 | – | 2.00 | – | 2.00 | – | 2.00 | – | 2.00 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4. Urdu Academy. | 3.50 | 0.50 | 4.00 | – | 3.50 | 0.50 | 4.00 | – | 3.50 | 0.50 | 4.00 | – |
| | 5. Maithili Academy. | 2.00 | – | 2.00 | – | 2.00 | – | 2.00 | – | 2.00 | – | 2.00 | – |
| | 6. Bhojpuri Academy. | 2.00 | – | 2.00 | – | 2.00 | – | 2.00 | – | 2.00 | – | 2.00 | – |
| | 7. Rastrabhasa Parisad. | 1.00 | – | 1.00 | – | 1.00 | = | 1.00 | = | 1.00 | – | 1.00 | – |
| | 8. Bangla Academy | 1.00 | – | 1.00 | – | 1.00 | – | 1.00 | = | 1.00 | – | 1.00 | – |
| | 9. Sanskrit Academy. | 1.00 | – | 1.00 | – | 1.00 | – | 1.00 | = | 1.00 | – | 1.00 | – |
| | 10. Tribal Language Academy. | – | 0.25 | 0.25 | – | – | 0.25 | 0.25 | = | – | 0.25 | 0.25 | – |
| | 11. Dev. of Rajbhasa. | 10.56 | 2.04 | 12.60 | – | 10.56 | 2.04 | 12.60 | – | 10.56 | 2.04 | 12.60 | – |
| | **Total Language Development :—** | 32.86 | 3.29 | 36.15 | – | 32.86 | 3.29 | 36.15 | – | 32.86 | 3.29 | 36.15 | – |
| **F.** | **GENERAL (DIRECTION) ADMINISTRATION AND SUPERVISION :—** | 23.56 | 9.65 | 33.21 | – | 23.56 | 9.65 | 33.21 | – | 23.56 | 9.65 | 33.21 | – |
| | **GRAND TOTAL GENERAL EDU. :—** | 3792.12 | 1899.88 | 5692.00 | 195.00 | 3722.82 | 1877.70 | 5600.52 | 195.00 | 3658.79 | 1757.13 | 5415.92 | 195.00 |

# परिशिष्ट–5

## PHYSICAL TARGETS AND ACHIEVEMENTS–ANNUAL PLAN 1986-87

| Sl No. | Name of Schemes | Unit | State Plan | | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1986–87 Target | Achievement upto 31 March, 87 | |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **GENERAL EDUCATION** | | | | |
| A. | **ELEMENTARY EDN :—** | | | | |
| | 1. Appointment of Teachers. | Number | 8000 continuation<br>18500 Fresh | 15,300 | |
| | 2. Estabilishment of District Resource Centres. | Number | 2 Conti.<br>2 Fresh | 2<br>1 | |
| | 3. **Cons truction Programme :—** | | | | |
| | (a) School building(8th Finance Commission Award) | Number | 2651 | 2651 | Under construction. |
| | (b) School building. | Number | 638 completion<br>443+1925 Fresh | 638<br>443+1925 | do<br>do |
| | (c) Lady Teachers Qrts. | Number | 167 | 167 | do |
| | (d) Recreation & Toilets. | Number | 1035 | 1035 | do |
| | 4. Supply of School Uniform. | No. of girls | 93499 | 93499 | |
| | 5. Supply of furniture, teaching aids & Sc. equipments. | No. of Schools.<br>do<br>do | 3697 furniture<br>2224 Teaching aids.<br>4200 equipments | 3697<br>2224<br>4200 | |
| | 6. Socially Useful Productive work. | do<br>Craft Shade | 434<br>4 | 434<br>4 | |
| | 7. School Broad-cast & Telecast | Television Sets. | 700 Maintenance<br>Organisation of workshop-1 | Maintenance<br>1 | |
| | 8. Supply of text-books. | Students | All students upto class V. | All students upto class V. | |
| | 9. UNICEF/UNFPA Assisted Programme | Teacher(Training)<br>Posts<br>Self study centre. | 468<br>21 Conti.<br>12 Conti.<br>93 New | 468<br>Continuation<br>Continuation<br>93 New | |
| | 10. Administrative Support. | No. of posts<br>Zeep Purchase<br>Post of Driver&others. | 129 New<br>71 Upgradation of existing posts.<br>29<br>10+8 | 129<br>71<br>29<br>10+8 | |
| | 11. Non-formal Edn. | No. of Centres. | 29971 Continuing | Continuing | |
| | 12. Const. of Quarters, hostel and building of training colleges. | Buildings | 18 repair | 18 | |
| | 13. Enrichment of library, furniture & teaching aids of training colleges. | No. of Colleges | 28 Elementary | 28 | |
| | 14. In-Service Training/Orientation **Programme :—** | | | | |
| | (a) Elementary level. | Teacher(Training) | 714 | 714 | |
| B. | **SECONDARY EDUCATION :—** | | | | |
| | 1. **Estabilishment of Secondary School :—** | | | | |
| | (a) Spill over progm. | Posts | 3362 | 3362 | |
| | (b) New Schools. | Posts | 20 continuation<br>24 New | 20<br>24 | |
| | 2. Appointment of Addl. Teachers. | Teachers | 400 continuing.<br>400 Fresh | 400<br>400 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3. Supply of Sc. equipments furniture & teaching aids. | Schools | 350 | 350 | |
| 4. Construction Programme. | Builldings | 205+53 | 205+53 | under |
| | Hostel | 1 | 1 | construction |
| | Quarters | 16 | 16 | |
| | Laboratory | 1 | 1 | |
| | Lavoratory | 160 | 160 | |
| 5. Enrichment of Library & Book Bank | Schools | 900 | 900 | |
| 6. Introduction of Computor Education. | Schools | 25 continuation | 25 | |
| 7. Development of Sainik School, Tilaiya. | Hostel completion | 1 | 1 | |
| | Septic tank | 1 | 1 | |
| | Repair. | 1 | 1 | |
| | P. H. E. D. Work. | 1 | 1 | |
| 8. Introduction of+2 **Vocationalisation :—** | | | | |
| (a) Introduction of+2 | Schools | 128 continuing | 128 | |
| | | 100 New | 100 | |
| (b) Vocationalisation | Schools | 40 continuing | 40 | |
| | | 40 New | 40 | |
| 9. Const. of quarters, hostels & building of training colleges. | No. of building | 7 | 7 | |
| 10. Enrichment of Library, furniture& teaching aids of training colleges. | No. of Colleges. | 8 | 8 | |
| 11. In-Service Training/Orientation Programme | Centres | 19 | 19 | |
| 12. Research & Pilot projects. | Research work. | | | |
| 13. Strengthening of SCERT and its enrichment. | Strengthening. | 1. Const. of latrines in the campus & building. | 1 | Under construction |
| | | 2. Work Shop | 1 | |
| | | 3. Posts | 12 | |
| | | 4. Beuitification of E.T.V. production centres. | 1 | |
| | | 5. Const. of P.A. sheet roofing. | 1 | |
| | | 6. Organisation of Sc. Exhibition of Sc. Seminar.. | 1 | |
| | | 7. Purchase of Air Conditioners for Guest House. | 1 | |
| | | 8. Payment of premum of insurance of building and equipment fire-extinguisher & electric charges. | | |
| | | 9. Purchages of computor. | 1 | |
| | | 10. Construction of Quarters IV grade. | 9 | |
| | | 11. Publication.. | | |
| C. **ADULT EDUCATION :—** | Projects | 312 | 312 | |
| | Enrolment | 1128000 | 1.428000 | |
| D. **GENERAL ADMINISTRATION** : | Posts | 174 continuing; | 174 | |

NIEPA DC
D03924
National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B,Sri Aurobindo Marg, New Delhi-110016.
DOC. No. 3.12.H
Date 17/8/87